

ग्राम- विचोरुर्व भद्रपदी के विना
इन्हें द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति
स्वामी-पत्र द्वा. भोपाल-ग. ५.
वा.पु.भ/०५ भोपाल-०३-०५.

पंची क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. न. १०८-भोपाल/०३-०५.



मध्यप्रदेश सरकार

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ५००]

प्रियंका गांधी, दिनांक ३० जिल्हापात्र २००३—जारीता द. रक्षा १९२५

कर्जी विभाग
भैरवाला, परलाल भवान, भोपाल।

भोपाल, दिनांक ३० जिल्हापात्र २००३

नियम

कानून द्वारा १९८ अप्रैल-१७-तैरह-२००२ मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, २००० (कानून ४ तार. २००१) की धारा २३ की उपायाद (१), (२) और (३), धारा २४ और धारा ५६ की उपायाद (२) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, २००३ (२००३ का नं ३६) की धारा १३१ की उपायाद (१), (२), (५), (६) तथा (७) और धारा १३३ द्वारा प्रदत्त शपियादों की प्रक्रिया में जारी हुए राज्य सरकार, एतद द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के कृत्यों, संपर्कियों, हितों, विविकारों तथा विवितों का अंतरण करने तथा सहृद राज्य सरकार ने निर्धारित करने तथा उन्हे राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य कानूनी नियमित नियाय या प्राधिकारी में फैल अंतरित और सुन् निर्धारित करने तथा विद्युत मंडल के कानूनियों का किसी अन्य कानूनी नियमित नियाय या प्राधिकारी में अंतरण विनियमित करने और उन नियमितों तथा इसी को जिन दर एवं अंतरण तहां निर्धारित किया जाएगा, अन्यारित करने ये लिए तारीखिया नियम बनाती है, अर्थात्—

१. संहेत नाम,	(१)	इन नियमों या अंदीख नाम मध्यप्रदेश विद्युत सुधार प्रबन्ध अंतरण योजना नियम, २००३ है।
विस्तार तथा		
प्रक्रम।		
	(२)	इन नियमों द्वारा नियमित नियाय या प्राधिकारी में अंतरण विनियमित करने तथा विद्युत मंडल के कानूनियों का किसी अन्य कानूनी नियमित नियाय या प्राधिकारी में अंतरण विनियमित करने और उन नियमितों तथा इसी को जिन दर एवं अंतरण तहां निर्धारित किया जाएगा, अन्यारित करने ये लिए तारीखिया नियम बनाती है।
	(३)	इन नियमों द्वारा नियमित नियाय या प्राधिकारी में अंतरण विनियमित करने तथा विद्युत मंडल के कानूनियों का किसी अन्य कानूनी नियमित नियाय या प्राधिकारी में अंतरण विनियमित करने और उन नियमितों तथा इसी को जिन दर एवं अंतरण तहां निर्धारित किया जाएगा, अन्यारित करने ये लिए तारीखिया नियम बनाती है।

2. आस्तित्वी तथा वापिसी को लाशू डाला।

3. निर्भागाएँ-

(क) इन योजना नियमों के प्रयोगजन के लिए 'अधिनियम' से अभिप्रेत हैं मध्यप्रदेश विषुत सुधार अधिनियम, 2000 (क. 4 सन् 2001); 'मंडल' से अभिप्रेत है विषुत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का नं. 54) की धारा 5 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य विषुत मंडल; 'केन्द्रीय अधिनियम' से अभिप्रेत है विषुत अधिनियम, 2003 (2003 का नं. 36);

(घ) 'कपनी' से अभिप्रेत है कपनी अधिनियम, 1966 (1966 का सं. 1) के अधीन बनाई गई तथा रजिस्ट्रीकूल कपनी;

(क) 'आयोग' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विषुत सुधार अधिनियम, 2000 (क. 4 सन् 2001) की धारा 3 के अधीन गठित तथा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 82 के अधीन मान्य मध्यप्रदेश विषुत नियमक आयोग;

(घ) 'अंतरण की सतीश' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वह तारीख विसर्ग मंडल के कृत्यों सम्पादितीय हिती, जपिकारी तथा दायित्वों कार्यालयों या कार्यालयों का अंतरण, अधिनियम तथा इन योजना नियमों के अनुसार संबंधित जंतरिती को प्रभावी होगा;

(क) 'वितरण कंपनी' से अभिप्रेत है विषुत के वितरण और पुष्टकर प्रदाय के लिए फिरकाम-१, फिरकाम-२ तथा फिरकाम-३;

(ज) 'फिरकाम-१' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पूर्व होते विषुत वितरण कपनी लिमिटेड, एक कपनी, नमध्यप्रदेश राज्य द्वारा गठित एवं पुष्टकर विषुत प्रदाय की जिम्मेदारी का अनुसार संबंधित जंतरिती को प्रभावी होगा;

(झ) 'फिरकाम-२' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश मरग होते विषुत वितरण कपनी लिमिटेड, एक कपनी, जो मध्यप्रदेश राज्य के बोधाल, होशंगाबाद, चम्बल तथा ग्यालियर सभागांगों में विद्युत वितरण एवं पुष्टकर विषुत प्रदाय की जिम्मेदारी के मुख्य उद्देश्य से नियमित की गई हो;

(झ) 'फिरकाम-३' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश परिवर्तन लिमिटेड, एक कपनी, जो मध्यप्रदेश राज्य में विषुत उत्पादन के मुख्य उद्देश्य से नियमित की गई हो;

(क) 'दायित्व' में दे रखी दायित्व-क्रम, शुल्क, बालाताई और अन्य बहिराली आते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार विधानिक दायित्व एवं सारपीय उपचारण और जागरिक प्रायोग सम्मिलित है, जो पि इन नियमों के अधीन अंतरित उपकरणों के द्वारा में उत्पादन की तरीके के पूर्व कारबर के संबंध में उद्दूक हो;

(घ) 'कार्यक्रम' से अभिप्रेत है मंडल के लायकान, एकलाली कार्यालयिक और जपिकारी, जो किसी भी नम् से जाने जाते हो और जिनमें मंडल में भर्ती के लिए प्रशिक्षणाली, एवं कोई हो, इसका ए जी अन्य सभागांगों या सभागांगों में मंडल से प्रतिनियुक्त एवं हो जी उपरिलिख है;

(क) 'कार्यवाही' से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार की कार्यवाही या लिनारे, दावे, अपील, शिकायतों, प्रायोगिक आवेदन सुलग वाप्तव्यान सम्मिलित है, जोहे वे सिविल, लाइंडर या अन्यथा हो;

(v) "संपर्क" में सम्भिलित है किसी भी प्रकार के और कहीं भी रिक्त पावर सिस्टम, सर्वेंज, मशीनरी, गूमि, मदन, कार्यालय, भंडार, कर्मीवार, फिक्सेप्सर, वाहन, आवासीय मकान तथा विश्रामगृह और उनसे संबंधित तथा उनसे युक्त सुविधाएँ और संस्थापनाये और अन्य लंगम तथा स्थाकर जातियाँ, नकद राशि बैंक में जमा केशविनिधान, बही बैंक खूबूल और अस्कूल यूर्ज एवं अनूर्ज जातियाँ, प्रसूतियाएँ अनुज्ञापिया तहनिया, प्राप्तिकार, पंजीकरण पेटेट, द्रेल गार्क, और प्रत्येक स्वरूप प्रपुति तथा प्रकार की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएँ, सुखाधिकार, भास, पायदे और अनुभोदन, तथियाएँ विसेक, योजनाएँ, कामपत्र, करारनामा और अन्य लिखते और हित ;

(vi) 'अनुसूची' से अभिप्रैत है इन योजना नियमों से जंलमन अनुसूचिया, 'राज्य' से अभिप्रैत है मध्यप्रदेश राज्य ;

(vii) ट्रांसकॉर्स से अभिप्रैत है मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एक नियमित कंपनी जिसका मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत वारेक्षण यीं जिल्होंपारी दोनों हैं ;

(viii) 'जांतीती' से अभिप्रैत है विधारिति ट्रांसकॉर्स या जेनको या डिस्काम-1 या डिस्काम-2 या डिस्काम-3 जिसमें मण्डल के कृत्य और धिगेवारी, इन योजना नियमों के साथ पठित अधिनियम के उपकंठों के अनुसार निहित हैं ;

(ix) 'उपकम (बैंडलटेक्निक्स)' से अभिप्रैत है मण्डल के कृत्य तथा सम्बलित का/के बाक, हिल, असिक्ल और दाकिन तास सीमा तक तथा रीति में, जिसमें वे एककम के भाग के रूप में विनिर्दिष्ट हों एवं ऐसी अन्य सम्पत्तियाँ, हित, अधिकार और दायित्व, जो इन योजना नियमों ने कृत्यों के संबंध में विनिर्दिष्ट हैं ;

(x) इन योजना नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो अधिनियम तथा केन्द्रीय अधिनियम में परिभ्रान्त है, परन्तु जिन्हें इन योजना नियमों में विविध रूप से परिभ्रान्त नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा, जो उनके लिए अधिनियम तथा केन्द्रीय अधिनियम में दिया गया है ।

4. (1) मण्डल के उपकमों को निम्नलिखित अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है—

(a) उत्पादन उपकम, जैसा कि अनुसूची—“क” में उपलिखित है ;

(b) पारेक्षण उपकम, जैसा कि अनुसूची—“ख” में उपलिखित है ;

(c) डिस्काम—1 के लिए वितरण उपकम, जैसा कि अनुसूची—“ग” में उपलिखित है ;

(d) डिस्काम—2 के लिए वितरण उपकम, जैसा कि अनुसूची—“घ” में उपलिखित है ;

(e) डिस्काम—3 के लिए वितरण उपकम, जैसा कि अनुसूची—“ङ” में उपलिखित है ; तथा

(f) उपकम, जैसा कि अनुसूची—“च” में उपलिखित है ।

मण्डल के उपकमों का वर्गीकरण ।

	(2)	यदि उपनियम (1) के अधीन उपकम की आरेखण मण्डल द्वारा ली गई वित्तीग सहायता गा बाध्यता के के लिए तृतीय पक्षकारों के पक्ष में प्रतिभूति दस्तावेजों या लहराव के अधीन है और अस्तियों से संबंधित दायित्व विभिन्न उपकरों में वर्गीकृत किये जाने हैं, तो इस उदाहरण के लिये राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसी सम्पत्तियाँ आस्तियों और अधिकारों द्वारा प्रतिभूत दायित्वों का विभाजन विभिन्न उपकरों के बीच कर सकती और ऐसे विभाजन पर, प्रतिभूति केवल लिनाप्रिय दायित्वों की सीमा तक लागू होगी ;
5.	राज्य को संपत्ति का अंतरण	(1)
	(2)	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अंतरण की तारीख को या से, अनुसूची 'क' से 'ठ' तक यथा विनिर्दिष्ट गठन की संपत्तियों तथा समस्त हित, अधिकार तथा दायित्व, इन योजना नियमों के अधीन अंतरण योजना के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को अंतरित जो जाएंगे और उनमें निमित्त डो जाएंगे ।
6.	उपकम का राज्य सरकार द्वारा अंतरण	(1)
	(2)	उपनियम (1) की कोई भी बात कार्मिकों के संबंध में, जिनमें वैज्ञानिक देव जैसे देवन, भजदूरी, उपदान (ग्रेच्यूटी), पेशन, भविष्यानिधि, भलिकर, टर्मिनल तथा सेवानिवृत्ति फागदे सम्पत्ति हैं, अधिकारों, उत्तरदायित्वों, दायित्वों तथा बाध्यताओं को लागू नहीं होगे और उनका निपटारा इन योजना नियमों के उपनियम 7 में उपविधित रीति में किया जाएगा ।
	(3)	अनुसूची 'क' में यथा उपविधित उत्पादन उपकम के भाग रूप उपकम अंतरण की ऐसी तारीख को तथा से, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अधिनियम तथा इन योजना नियमों में विनिर्दिष्ट निवेदनों तथा शर्तों के अधीन 'डिस्काम-1' में अंतरित और निहित हो जाएंगे ।
	(4)	अनुसूची 'ख' में यथावर्णित वितरण उपकम के भाग रूप उपकम अंतरण की ऐसी तारीख को तथा से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अधिनियम तथा इन योजना नियमों में विनिर्दिष्ट निवेदनों तथा शर्तों के अधीन 'डिस्काम-2' में अंतरित और निहित हो जाएंगे ।
	(5)	अनुसूची 'ड' में यथावर्णित वितरण उपकम के भाग रूप उपकम अंतरण की ऐसी तारीख को तथा से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अधिनियम तथा इन योजना नियमों में विनिर्दिष्ट निवेदनों तथा शर्तों के अधीन 'डिस्काम-3' में अंतरित और निहित हो जाएंगे ।
	(6)	अनुसूची 'च' में यथावर्णित उपकम के भाग रूप उपकम अंतरण को आगामी आदेश पर्यन्त मॉडल द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा ।

(7) इन योजना नियमों के उपनियम (1) से (5) तक के नियमों के अनुसार उपकरणों के अंतरण तथा निहित होने पर तथा अन्यथा उपबंधित के रिवाय संबंधित अंतरिती, अंतरण की तारीख पर विद्यमान या प्रभावशील उस अंतरित किए गए संबंधित उपकरणों से संबंधित सभी पृष्ठों, संविटाइंस, अधिकारों, विलेखों, योजनाओं, बंध-पत्रों, कारबनामों एवं किसी भी प्रकार की लिखितों के लिए जिनमें मंडल एक फक्तकार था, उसी रीति में जिम्मेदार होगा जैसा कि मंडल अंतरण की तारीख के तुरंत पहले दायी था और वे संबंधित अंतरिती के विलिय या उसके पक्ष में प्रवृत्त तथा प्रभावशील रहेंगे और वे उसी प्रकार प्रभावी रूप से प्रवृत्त रहेंगे। संकेत, मानो मंडल के बजाए संबंधित अंतरिती एक पक्षकार रहा था।

(8) (क) इन योजना नियमों के नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित तारीख से उपकरणों का अंतरितीयों को अंतरण एवं निहित किया जाना इस बात के होते हुए भी अंतरण की तारीख को तुरंत प्रभावशील होगा कि ऐसे उपकरण का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है और बाद की तारीख से निर्धारित किया जाएगा। अंतरितीयों को अंतरित की जाने वाली आर्थियों का मूल्य, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर निर्धारित किया गया उचित मूल्य होगा:-

(एक) राजस्व अर्जन क्षमता ; या

(दो) अन्तरित प्रातिस्थापन मूल्य ; या

(तीन) पुस्तकीय मूल्य (बुक वैल्य)।

(9) अंतरितीयों की प्रारंभिक बैलेंस शीट को राज्य सरकार द्वारा इन योजना नियमों के नियम 10 में उल्लिखित अन्तिम (प्राचीजनल) कालावधि के दौरान किसी भी समय अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट नियमों और इनमें संशोधन, फेरफार, उपांतरण कर सकती, उनमें जोड़ सकती गा चर्चाएं से बोय कर सकती गा अन्यथा परिवर्तन कर सकती।

7. (1) कार्मिकों का अंतरण, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 133 और अधिनियम की धारा 24 में अंतरित नियमों और इनमें से अधीन होगा। कार्मिकों का अंतरण

(2) (क) नियम 6 के अधीन विशिष्ट उपकरणों के अंतरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंतरण की तारीख पर मंडल के कार्मिक व्यथास्थिति, जेनको, ट्रांसको, डिस्काम-1, डिस्काम-2, डिस्काम-3 की सेवाओं में जो जहाँ कार्यस्थल हैं, के आधार पर सौंपे जाएंगे, अर्थात् राज्य सरकार के आगामी आवेदन पर्यन्त वे अंतरण की तारीख को जहाँ पदार्थापित हैं, उस स्थान पर कार्यवारते रहेंगे।

(ख) दो या दो से अधिक अनुसूचियों में वर्णित उपकरणों के संबंध में मंडल में सेवा प्रदान कर रहे कार्मिकों को, राज्य सरकार समय-समय पर आदेश जारी करके विनिर्दिष्ट अनुसूची के अधीन वर्गीकृत उपकरणों को सौंपे जाने के लिदेश दे सकती और तदुपरात ऐसे कार्मिक समस्त उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिये ऐसे उपकरणों की रोकाओं में रखी परियोजना जाएगी।

(3) उपरोक्त उप-नियम (1) एवं (2) के अधीन कार्मिकों का अंतरिति को सौंपा जाना तब तक जारी रहेगा, जब तक कि कार्मिक अधिनियम के तथा इन योजना नियमों के उपर्योग तथा राज्य सरकार द्वारा इन योजना नियमों पर अधीन जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार विशिष्ट अंतरिती की सेवाओं में आमेलित नहीं हो जाते।

(4) राज्य सरकार, गिबा 10 गे वर्तित अनंतीय कालानन्दि ने भीतर, जोगको, ट्रांसाको, डिस्ट्रिक्टों और मण्डल के प्रामाणी सं, कार्मिकों की उपयुक्तता योग्यता तथा अनुमति दिलायी की संभवा और रुचरूप तथा अन्य सुन्दर गतियों पर विचार करते हुए कार्मिकों के किसी अंतरिती में अंतरण व स्थायी आमेलन को अतिग्रन्थ रूप देशी और ऐसे उपयुक्त आदेश जारी करेगी, जैसे कि वह ऐसे स्थायी आमेलन के लिए ठीक समझे।

(5) राज्य सरकार, उपरोक्त उपनियम(4) के प्रयोगन पर लिये, जोगको, ट्रांसाको, डिस्ट्रिक्टों और मण्डल के प्रामाणी से,-
(क) कार्मिकों द्वारा, अंतरिती में उनके अंतरण एवं आमेलन के संबंध में अन्यावेदन प्राप्त करने के लिए ; तथा
(ख) ऐसे अंतरण एवं आमेलन पर ऐसे संबंध के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इन प्रयोगन के लिए विभिन्निष्ट करे, ऐसे अंतरण तथा आमेलन पर सिफारिश करने के लिए एक समिति, जैसा कि राज्य सरकार उपयुक्त समझे, गठित कर सकेगी।

(6) राज्य सरकार, इस प्रयोगन के लिए नियुक्त की गई समिति यी विभारिश पर पिंडार करने वा पश्चात् कार्मिकों के अंतरिती में अंतरण तथा स्थायी आमेलन पर विभिन्निष्ट करनी और कार्मिकों के ऐसे अंतरण और स्थायी आमेलन के लिए आदेश जारी करेगी।

(7) अंतिम रूप दे दिए जाने पर तथा उपनियम (6) के नियमों के अनुसार आदेश जारी होने पर, कार्मिक, उन आदेशों के अनुसार, जो कि इस प्रयोगन के लिए जारी किए जाएं, राज्य सरकार या निकल या अपारिती जबका किसी जात्य व्यक्ति होता, जिसमें कार्मिक भी सम्मिलित हैं, किए जाने वाले किसी और कार्य, विसेख या बाल के बिना, पद, वेतनमान या वरिष्ठता में संबंधित अंतरिती की सेवा का गांग हो जाएगे।

(8) अधिनियम और इन योजना नियमों के उपर्योग के अध्यवृत्त रहते हुए, अंतरिती, इन योजना नियमों के अधीन उसे अंतरित हुए कार्मिकों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले विनियमों को उपान्तरित कर सकेंगा, अश्वा नए विनियम बना सकेंगा किन्तु अन्तरण के प्रभावी होने की तारीख के पश्चात् उनकी पदश्रेणी, वेतनमान, वेतन, भत्ते तथा अन्य धन संबंधी प्रसुविधाएं, जिनमें टर्मिनल प्रसुविधाएं आदि भी सम्मिलित हैं, अंतरण के ठीक पूर्व उन्हें लागू उक्त प्रसुविधाओं से किसी भी रूप में कम नहीं होंगी।

(9) सम्बन्धित अंतरिती, समस्त वैधानिक और अन्य योजनाओं के तथा नियोजन से संबंधित उन मामलों के, जिनमें कि प्रोविडेंट फण्ड, प्रेस्युटी, फण्ड, पैशन और कोई अन्य अधिवार्षिकी फण्ड अथवा कार्मिकों के फायदे के लिए सुजित किया गया अथवा विद्यमान कोई अन्य ब्रेश फण्ड सम्बंधित है, सम्बन्ध में, समस्त प्रयोजनों के लिए मंडल के रथान पर हो जाएगा, तथा ऐसों किरी अधिकार, शक्तियां और वाध्यताएं, संशोधित अंतरिती यी हो जाएंगी और कार्मिकों की सेवाएं इन योजना नियमों के लागू होने के प्रयोजनों के लिए निरन्तर की गई सेवाएं समझी जाएंगी।

(10) राज्य सरकार, पैशन नियमों तथा कार्मिकों से रांचित वाप नियमों में, अंतरितीयों द्वारा उस सीमा तक नियम की समूचित व्यवस्था करने के लिए, जहां तक कि मंडल से कार्मिक की अंतरण की तारीख को उनमें जमा न हो, समूचित इन्तजाम अधिसूचित करेगी, जिनमें उन संबंधित अंतरितीयों द्वारा, जिन्हें कि ये कार्मिक अंतरित किए गए हों, अंतरण की तारीख के पश्चात सेवनिकृत होने वाले कार्मिकों को देय राशियों के भुगतान भी सम्भिलित हैं और उस समय तक ऐसे भुगतान मंडल द्वारा सम्यकरूप से किए जाएंगे।

(11) अंतरण की तारीख को मण्डल के विद्यमान पेशनरों को देय सेवात (टर्मिनल) प्रसुविधाओं हेतु नियम की व्यवस्था करने और देय भुगतान करने के लिये, राज्य सरकार समूचित इन्तजाम अधिसूचित करेगी और उस समय तक ऐसे भुगतान मण्डल द्वारा किये जाएंगे।

(एक) इस उपच्छण्ड के प्रयोजन के लिए पद,-

(दो) “विद्यमान पैशनर” से अभिप्रेत है, ऐसे सभी व्यक्ति, जो अंतरण की तारीख को मण्डल से पैशन पाने के पाव हैं और उसमें कार्मिकों के परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हैं; और

(दो) “सेवात प्रसुविधाओं” से अभिप्रेत है प्रेस्युटी, पैशन, महगाई एवं अन्य लागू सावत, चिकित्सा फायदे और लागू अन्य फायदे, जिनमें एकत्र फायदों का मण्डल में प्रवर्जित ही हो से लगता सनुप्रिया पुनरीकाण फा अधिकार भी सम्मिलित होगा।

(12) उपरोक्त तपानियम (9), (10) और (11) के उपर्युक्त, अंतरण की तारीख को मण्डल के विद्यमान कार्मिकों और विद्यमान पेशनरों को अतिसिंधि किन्ती अन्य कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे। अंतरिती द्वारा मर्ती किए गए और नियुक्त किये गये सभी कार्मिक, अशदारी भविष्य नियम योजना से अधिका किसी अन्य समूचित योजना से, जिसे कि संबंधित अंतरिती इस प्रयोजन के लिए स्थापित करे, शासित होंगे, न कि उपरोक्त तपानियम (9), (10) और (11) के अंतर्गत विद्यमान कार्मिकों और विद्यमान पैशनरों हेतु लागू पैशन योजना से।

(13) यथास्थिति मण्डल से अंतरिती की अधिका ऐसे अंतरिती से किसी अन्य अंतरिती को अंतरित किसी कार्मिक के विस्तृद्वय अंतरण की तारीख के पूर्व से लंबित समस्त कार्यवाहिया, जिनमें अनुशासनिक कार्यवाहिया भी सम्मिलित है अथवा जो, अंतरण की तारीख से पूर्व किए गए कदाचरण, चूक अथवा किसी कार्य के किए जाने अथवा न किए जाने से सम्बन्धित हैं, समाप्त नहीं होंगी और संबंधित अंतरिती द्वारा जारी रखा जा सकेंगी।

	(14)	जांतिहिंडों द्वारा अंतरिक्ष कार्मिक सम्बन्धित अन्तरिक्षी को बाहर अन्तररण की तारीख को बकाया लेहारे, अपिनो तका अन्य शाश्वतों ने उन्मुग्गतान करने अथवा उन बकायाओं का अन्यथा पालन करने के लिए जिनका उन्होंने मण्डल के लिए जिम्मा लिया था। उन्हीं निबद्धता और शार्तों पर अंतरिक्षी के साथ हुए करार के अधीन समझे जाएंगे, जो कि पढ़ते के साथ किए गए ठहराव में अंतरिक्ष हो।
	(15)	इन योजना नियमों में अंतरिक्ष कोई भी बात अंतररण की तारीख को मण्डल में प्राप्तिनियुक्ति पर रहने वाले राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य संगठन द्वारा कार्मिकी पर लागू नहीं होनी प्रवर्त्त गये कानूनी अन्तरिक्षी/अंतरिक्षों ने जिनकी वेदाओं में उन्होंने लीपा गया है, वह जहां है कि अंतररण पर अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निवित्त समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अन्यथा प्रतिनियुक्त पर बने रहेंगे।
8.	सीधे पक्ष के अधिकारों और वायिताओं का विविहत होना।	अधिनियम तथा इन योजना नियमों के उपकारों द्वारा अनुसार प्रभावी हो जाने पर सामरत्त्व क्षिकारों के, (जिनमें नियमित निकाय, वित्तीय संरक्षण, उच्चादेन वाले इत्यादि सम्बन्धित हैं) अधिकार और वायिताएं उस अवधिकारी जल निवित्त हो जाएंगी, जिनको कि ने अंतरिक्ष किए गए हों और किसी ऐसे विलेख, वस्तावेज, लिखत, अनुबंध अथवा ठहराव में, जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मण्डल से किया गया हो, अंतरिक्ष किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वह राज्य सरकार, मण्डल अथवा किसी अन्य अन्तरिक्षी के विलक्ष्य किसी अधिकार अथवा हित का दावा नहीं करेगा।
9.	निम्न वाच, अधिकारों, वायिताओं और कार्यवाहियों के परीकरण और अंतररण का प्रथम बार में अन्तिम द्वारा होना।	(क) अन्तरण की तारीख को मण्डल द्वारा या उसके विलक्ष्य लन्धित समस्त कार्यवाहियों, चाहे व किसी भी स्वरूप की हों, इन योजना नियमों के अधीन अन्तरण के कारण समाप्त नहीं होनी अथवा दोकी नहीं जाएंगी अथवा अन्यथा किसी रूप में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होनी और वे कार्यवाहियों, इन योजना नियमों और उनके अधीन जारी आदेशों के अनुसार उस अंतरिक्षी द्वारा या उसके विलक्ष्य, जिसमें कि वे सीधी गई हो, जारी रखी जा सकेंगी, अंगसर की जा सकेंगी और प्रवर्तित नहीं जा सकेंगी।
10.	सम्बन्धित अधिकारों, वायिताओं और कार्यवाहियों के परीकरण और अंतररण का प्रथम बार में अन्तिम (प्रार्वीजनल) होना।	(ख) ऐसी कार्यवाहियों उरी रीति में और उसी सीमा तक जारी रखी जा सकेंगी, जहा तक कि यदि इन योजना नियमों में विनिर्दिष्ट अन्तरण नहीं हुए होते तो वे मण्डल द्वारा अथवा उसके विलक्ष्य जारी रहती, अंगसर होती और प्रवर्तित की जाती।
	(1)	इन योजना नियमों के अधीन, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी अन्य आदेश द्वारा अन्यथा निवित्त होने लिया जाए, उपकारों का, जिसमें कार्मिक नी सम्बन्धित है, वर्गीकरण और अन्तरण अन्तिम (प्रार्वीजनल) होंगा और अन्तरण की तारीख से बाहर मात्र रूप अवसान हो जाने पर अंतिम होगा।

(2) राज्य सरकार अंतरण की तारीख से बारह भास की कालायधि के भीतर, किसी भी समग्र आधिसूचत किए जाने पासे आदेश द्वारा अंतरण के निवारणों और शर्तों को, जिनमें अंतरण में सम्मिलित भर्दे भी सम्मिलित हैं, संशोधित कर सकेंगी, उनमें फेरफार कर सकेंगी, उन्हें उपान्तरित कर सकेंगी, उनमें जोड़ सकेंगी, कम कर सकेंगी, उनमें से लोप कर सकेंगी, अथवा उनमें अन्यथा परिवर्तन पर सकेंगी और ऐसी सम्पत्तियों हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों और कार्यवाहियों को, जो एक अंतरिती के उपक्रम का गागरूप हैं, किसी अन्य अंतरिती अथवा नड़त अथवा राज्य सरकार को ऐसी रीति में तथा ऐसे निवारणों और शर्तों पर, जैसी कि राज्य सरकार समुचित समझे, अन्तरित कर सकेंगी।

(3) अंतरण की तारीख से बारह भास की कालायधि पा अवरान हो जाने पर और राज्य सरकार द्वारा दिए गए किन्हीं अन्य नियमों के अव्याधीन रहते हुए, योजना नियमों के अनुसार किए गए उपक्रमों, सम्पत्तियों हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों और कार्यवाहियों का अन्तरण अनिम हो जाएगा।

11. इन योजना नियमों के अधीन अंतरण, राज्य सरकार द्वारा इन योजना नियमों और इन योजना नियमों के निवारणों के अधीन जारी भए जानेवाले को प्राप्तिकार कर दिए जाने की कार्रवाई के अनुसारण में और इन योजना नियमों के निवारणों और शर्तों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, नड़त, आपरितियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने याते किसी और कृत्य विलेख अथवा आत के बिना कार्यान्वयित और प्रभावी होगा।

12. (1) अंतरिती, नड़त की और से तथा उसके अनिकर्तव्यों के रूप में, उन्हें सौंपे गए कृत्य उस समय तक करते रहेंगे तथा कारबाह सकेंगी कियाकलापों का जिम्मा लिए रहेंगे, जब तक कि राज्य सरकार, अंतरिती को, नड़त से स्वतंत्र रूप में उनकी तर्फ दी और से ऐसे कृत्यों को करने तथा कियाकलापों का जिम्मा लेने के लिए प्राप्तिकृत करने याती अधिसूचना जारी न कर दे।

(2) राज्य सरकार, ऐसे एक या एक से अधिक अंतरितियों के सम्बन्ध में राज्य-समय पर ऐसी अधिसूचना जारी कर सकेंगी, अस्तु ऐसी जमरत अधिसूचनाएँ, नियम 10 में विवरित जनतिम (प्रावीजनल) कालायधि समाप्त होने के पूर्व जारी की जाएँगी।

13. (1) अधिनियम के उपर्योग के अधीन रहते हुए यदि इन योजना नियमों के बारें किए गए निवारणों के बारे में कोई शक्ति, विवाद, गतिवेद अथवा वाद-विवाद उद्भूत हो तो उस पर राज्य सरकार का विविषण अधिकार होगा और सभी प्रकारों पर अन्वेषणी सेवा।

(2) यान्म नवकाय, गतिवेद में प्रकाशित आदेश द्वारा, इन योजना नियमों को संशोधित कर सकेंगी और अधिनियम के उपर्योग से असारत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेंगी, जैसे कि इन योजना नियमों के अधीन निवारणों को कार्यान्वयित करने में उद्भूत होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पीरज भाष्यर, लमिय

अन्सारी - "क"

उत्पादन उपकरण

उत्पादन उपकरण में विद्युत के उत्पादन से संबंधित मात्रायापदेश राज्य विद्युत मंडल की आस्तियां दायित्व तथा कार्यवाचियां समाविष्ट होगी जिनमें निम्नलिखित सम्बिलिपि हैं किन्तु उन तक ही सीमित नहीं हैं :-

एक- विद्यमान विद्युत केंद्र (पावर स्टेशन)

तापीय ८

क. सतपुड़ा विद्युत उत्पादन केन्द्र के विद्युत गृह क्रमांक -II 1 X 200 मेवा, तथा 1 X 210 मेवा, तथा विद्युत गृह क्रमांक -III 2 X 210 मेवा की उत्पादन इकाइयां तथा उनसे सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण यथा जनरेटर, दरवाइन, बायलर, कन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रोमैट्रिक प्रैंसिगेटर, नियंत्रक (कंट्रोल्स) एवं इन्स्ट्रुमेंटेशन, रेलवे साइलिंग, कोल हैंडलिंग सिस्टम, ऐश हैंडलिंग सिस्टम, राखड़ बांध, कच्चा जल प्रदाय तथा शोधन प्रणाली, डी.एम. बाटर प्लाट, हिरीयक तेल हैंडल भंगण मध्येहण मुश्यधार्य तथा उसका हैंडलिंग सिस्टम, रिवर यार्ड जिसमें स्टेप अप द्वासकार्म, सर्विस ट्रासफारर, सदायक इकाई के द्वासकार्म, राकिट ब्रंकर उच्च दाब तथा निम्न दाब रिवरिंग नियंत्रण तथा सुरक्षा तंत्र औवरहेड क्रोन, चिमनी, शंडार, अतिरिक्त कतपुर्ज, खपने वाला गात, कच्चा माल आदि तथा चूल इवं कार्य सम्बलित हैं।

ख. विरसिंहपुर विद्युत उत्पादन केन्द्र की 210 मेगावॉट की कामता वाली 4 उत्पादन इकाइया प्रत्येक 210 मेवा कामता की तथा उनमें से प्रत्येक सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण जैसे जनरेटर, टरबाइन, बायलर, कन्डेसर, इलेक्ट्रोस्टाटिक प्रैसीफाईटर, निंगेक्रॉक(कंट्रोल्स) एवं इन्टर्फ़ेसेन्ट्रेशन, रेलवे साइडिंग, कोल हॉलिंग सिस्टम, एंड इंजिनिंग सिस्टम, रसायन बांध, कच्चा जल प्रदायक तथा शोषण प्रणाली, जैसे एम वाटर प्लाट, द्विविधक तेल ईंजन संयोजन सुविधायें तथा उसका हैडलिंग सिस्टम, स्विच यार्ड जिसमें स्टेप अग ट्रांसफार्मर, सर्विस ट्रांसफार्मर, सहायक इकाई एवं ट्रांसफार्मर, स्पर्सिंग ब्रेंगर, उच्च वात तथा जिस वाले रिचिंगिंगर, नियन्त्रण तथा सुरक्षा तंत्र, ओवररोल क्रेन, चिप्पी, भंडार अंतिरिक्त कर्तपांच, रूपों वाला माल, तथा बल रह कार्य सम्मिलित है।

ग अमरकृतक विद्युत कन्द की 1×30 मेवा, 1×20 मे.वा. तथा 2×120 मे.वा. की उत्पादन इकाइयाँ और उनसे सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण यथा जनरेटर, टर्बोइन, बायलर, कन्डेसर, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रैसीपिटेटर, नियन्त्रक(कॉन्ट्रोलर) एवं इन्टर्गेन-शेन रेलवे साइडिंग कॉल हैंडलिंग सिस्टम ऐसा हैडलिंग सिस्टम, राखड़ बाध कन्वा जन फ्राय तथा शैफ्ट प्रणाली जैसे एम.बाटर.प्लाट, द्वितीयक तेल ईंधन संग्रहण सुधार्य तथा उसका हैंडलिंग सिस्टम, स्लिच यार्ड जिसमें रुटप अप ट्रासकार्पर, सर्विस ट्रासकार्पर, सहायक इकाई के ट्रासकार्पर, सर्किट बैक, उच्च दात तथा निन दाब विचारिटर, नियन्त्रण तथा सूखा तंत्र औवरहेड केन, यिगनी, गडार, अतिरिक्त कलपुर्ज, खपणे वाला नाल कन्वा माल आदि सामग्रिय हैं तथा ये कार्य सामाजिक हैं।

जल विद्युत केन्द्र -

क. बाणसागर विद्युत उत्पादन केन्द्र के विद्युत गह क्रमांक -II (सिलपारा स्टेशन) इन्हें स्ट्रक्चर में लगे पेनरस्टाक, पेनरस्टाक गेट, टेलरेस थेनल, डाफर्ट ट्यूब गेट, विद्युत गह 15 मेवा, उत्पादन दायता (प्रत्येक) की दो हकाइयां तथा प्रत्येक हकाइ के साथ जनरेटर टर्बोइन तथा सभी सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण तथा विद्युत यांत्रिक संरचना अप टार्सफार्मर रुटेप्पाउन टार्सफार्मर सर्किंट ब्रेकर, नियंत्रण तथा संरक्षा व्यवस्था, ओवरहेड केन,

गैरीकेन्चा, हाइड्रोलिंक हॉस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि समिलित हैं तथा बल रहे कार्य समिलित हैं।

क. बर्टी विद्युत केन्द्र : इन्टर्क स्ट्रक्चर में लगे पेनस्टाक, पेनस्टाक गेट, टेलरेस चेनली, डाफट ट्यूब गेट, विद्युत गृह 45 में वा. उत्पादन लागता (प्रत्येक) की दो इकाईयाँ तथा प्रत्येक इकाई के साथ जनरेटर, टरबाइन तथा सभी सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण तथा तिव्य यार्ड जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट बैकर, नियवन तथा सुखा व्यवस्था, ओवरहेड लैन, गेटींफेन, हाइड्रोलिंक हॉस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि तथा घल रहे कार्य समिलित हैं।

ग. बाणसागर विद्युत उत्पादन केन्द्र – विद्युत गृह क्रमांक –I तथा विद्युत गृह क्रमांक –III : इन्टर्क स्ट्रक्चर में लगे पेनस्टाक, पेनस्टाक गेट, टेलरेस चेनल, डाफट ट्यूब गेट, विद्युत गृह 105 गैरा. विद्युत उत्पादन क्षमता (प्रत्येक) की तीन इकाईया (बाणसागर विद्युत गृह क्रमांक –I, टॉस जल विद्युत गैर्ड) तथा 20 में वा. विद्युत उत्पादन क्षमता (प्रत्येक) की तीन इकाईया (बाणसागर विद्युत गृह क्रमांक –III देवलोद) तथा प्रत्येक इकाई के साथ जनरेटर, टरबाइन तथा रासी सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण तथा तिव्य यार्ड जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट बैकर, नियवन तथा सुखा व्यवस्था, ओवरहेड लैन, गेटींफेन, हाइड्रोलिंक हॉस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि तथा घल रहे कार्य समिलित हैं।

ग. विएसेंडप्यु विद्युत उत्पादन केन्द्र : इन्टर्क स्ट्रक्चर में लगे पेनस्टाक, पेनस्टाक गेट, टेलरेस चेनल, डाफट ट्यूब गेट, विद्युत गृह 30 में वा. उत्पादन क्षमता की एक इकाई तथा उससे सम्बद्ध जनरेटर के साथ टरबाइन तथा सभी एवं संबंधित उपकरण तथा तिव्य यार्ड जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट बैकर, नियवन तथा सुखा व्यवस्था, ओवरहेड लैन, गेटींफेन, हाइड्रोलिंक हॉस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि तथा घल रहे कार्य समिलित हैं।

मार्गीदारी जाले विद्युत गैर्ड :-

क. सतपुरा थर्मल विद्युत उत्पादन केन्द्र : (मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की हिस्सेदारी में एक अंतर्राज्यीय परियोजना) 625 में वा. उत्पादन क्षमता प्रति इकाई की 5 इकाइयों, मध्यप्रदेश की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी, के साथ सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण द्वारा जनरेटर, टरबाइन, चायलर, यांत्रिक इकाइयों नियवन (कंट्रोलर) एवं इन्स्ट्रुमेंटेशन सहित, रेलवे साइरिंग, कोल हैंडलिंग जिसमें ऐश हैंडलिंग लिस्टम, रायड बांध, नल्का जल प्रदायक तथा जलसाधान प्रणाली कूलिंग टावर, द्वितीयक तेल इंधन संग्रहण सुविधायें तथा उत्पादक हैंडलिंग लिस्टम, रिवर यार्ड जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, गेटींफेन, नियवन तथा सुखा व्यवस्थायें, ओवरहेड लैन, भंडार, अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला नाल, कच्चा माल आदि समिलित हैं तथा घल रहे कार्य समिलित हैं।

ख. चम्बल काम्पलेक्स – (मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की हिस्सेदारी में एक अंतर्राज्यीय परियोजना) गांधीसागर की 23 बैरट प्रति इकाई की 5 इकाइयों, रामप्रताप लालगढ़ की 43 में बैरट प्रति इकाई की 4 इकाइयों तथा जवाडरसागर की 33 में बैरट प्रति इकाई की 3 इकाइयों में लागत तथा नास भनुसार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की 50–50% की हिस्सेदारी है। सभी अंतरिक्षीय पर दोनों राज्यों के विद्युत मण्डलों का इसी अनुपात में रखागिल है। सचालन-स्थापन में हीने वाला व्यय दोनों विद्युत मण्डल भारत पहन किया जा रहा है तथा ने विद्युत लाग्त प्रणीत हिस्सेदारी के आधार पर उठा रहे हैं।

ग. पैच केन्द्र¹ : इन्टर्क स्ट्रक्चर में लगे पेनस्टाक, पेनस्टाक गेट, त्राफट ट्यूबगेट, टेलरेस चेनल, विद्युत गृह 80 में बैरट विद्युत उत्पादन क्षमता (प्रत्येक) की दो इकाईया तथा प्रत्येक इकाई के साथ जनरेटर, टरबाइन तथा सभी सम्बद्ध एवं संबंधित उपकरण तथा तिव्य यार्ड जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट बैकर, नियवन तथा सुखा व्यवस्था, पेनस्टाक गेट, डाफट ट्यूबगेट, ओवरहेड लैन, गेटींफेन, हाइड्रोलिंक हॉस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि समिलित हैं तथा घल रहे कार्य समिलित हैं।

1 यह विद्युत केन्द्र महाराष्ट्र गेरे में स्थित है जिसमें दो रिहाई हिस्सेदारी मप्रराविस की है जो उत्पादन कंपनियों को अंतरिक्षीय की जायेगी।

2 यह विद्युत केन्द्र उत्तरप्रदेश में स्थित है, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो उत्पादन कंपनियों को अंतरिक्षीय की जायेगी।

ग) राजभाट केंद्र² :- इन्द्रेका स्टूडियो में लगे पेनस्टाक, पेनस्टाक मेंट, टेलरेस चेनल, ड्राफ्ट ट्रॉबर्गेट, ब्रैंडेटा गृह 15 मैं बाट विद्युत उत्पादन लमता (प्रस्तोता) की तीन इकाइयां तथा प्रत्येक इकाई के राष्ट्र जनरेटर, दरबाहन एवं व्या सर्वी साम्बद्ध एवं सब्जेक्ट उपकरण तथा सिंगल वाहू जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, सर्विट ब्रेकर, नियन्त्रण तथा सुलभ व्यवस्था, पेनस्टाक मेंट, ड्राफ्ट ट्रॉबर्गेट, जोवरहेल ग्रैंग, गैट्रोफेन, हाइड्रोलिक हाइट, विद्युत गृह भड़ार, अतिरिक्त कल्पुर्ज, खपने वाला माल, कच्चा माल आदि सम्मिलित हैं तथा इह कार्य सम्मिलित है।

दो - नियणिकाधीन विद्युत परियोजनायाँ :-

- (क) बाणसागर जल विद्युत उत्पादन केन्द्र विद्युत गृह ग्रामांक -IV (2 X 10 में वा)
- (ख) गर्वीचेड़ा जल विद्युत उत्पादन केन्द्र (2 X 20 में वा + 1 X 20 में वा)
- (ग) संजयगढ़ी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र विद्युतिहापुर प्रस्तावित विस्तार (500 में वा)

तीन - सामान्य आस्तियाँ :-

(क) निम्नलिखित आस्तियाँ यदि वे अलग रूप से या प्राथमिक तौर पर उपरोक्त पैरा एक तथा दो में उल्लिखित उत्पादन केन्द्रों या परियोजनाओं गा उन भवित्वों या विद्युत उत्पादन केन्द्रों या गतिविधियों से संबद्ध हों :-

विद्युत औन्हार तथा उपकरण, ग्रेटरियल हैंडलिंग इक्युपर्मेंट, गिट्टी की खुदाई कार्य से संबंधित गशीन (अर्थ गूर्हा) चुलडोजर, कॉलीट निकल, ग्रैन, ट्रेलर, हॉक तथा मारी कान, फलीकर, फिल्टर तथा लमता उपकरण, एवं कठीशनर, रेफ्रिजरेटर, कम्प्यूटर, सिंगलल टंबर, अतिरिक्त कल्पुर्ज, खपने वाला माल, कच्चा माल, गृष्म तथा सिंधित या खापित कार्य में सम्मिलित बाध, बैराज, नहर, भवन, सड़क, ट्रायल क्याटर, फिल्म गृह, संसरियाँ तथा हांचे तथा उनसे सम्बद्ध भवन, वाटरसालायें, औपचार्य, यांच प्रयोगशालाय तथा उपकरण, प्रशिलाण केन्द्र, गार्डशालायें, खल इह कार्य, सुधार के लिये थेजी गहू गशीने तथा उपकरण तथा अनुपयोगी और रद्दी माल।

(ख) ऐसी कायालयीन स्थापना एवं अन्य भवन तथा भूमियाँ, जो इस अनुसूची में अन्यत्र कहीं भी वर्णित न हो और जो अंतरण के प्रभावी होने की हारील की प्रवानत उत्पादन उपकरण केन्द्रों या गतिविधियों के लिये क्षियोग में हों/ उपयोग ने जाई जा सकी हो।

चार - विधि :-

- (1) कान्टूज, करतानामा, हित तथा ठहराव, उस सीमा तक, जहां तक वे, उत्पादन गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (2) उधार प्रतिभूत सथा अप्रांतेगत, उस सीमा तक जहां तक वे उत्पादन गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (3) अन्य चालू दविल तथा प्राक्कान, उस सीमा तक, जहां तक वे, उत्पादन गतिविधियों गा उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (4) अन्य चालू दविल तथा प्राक्कान, उस सीमा तक, जहां तक वे, उत्पादन गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (5) आकर्तिक दविल, उस सीमा तक, जहां तक वे, अभिन्नात हैं तथा उत्पादन गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (6) आया दायित्व, उस सीमा तक, जहां तक वे, उत्पादन गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (7) कार्यवाहियाँ, उह सीमा तक जहां तक वे, उत्पादन गतिविधियों गा उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक से तीन में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।

पार्वती सामान्य :-

- (1) उत्तावना उपक्रम की आरितया, जेनको में निहित होंगी।
- (2) राज्य सरकार, विषय 10 में वर्णित अनंतिम(प्रावीकृत) अवधि की समाप्ति के पहले, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के दायित्व जेनको को उस सीमा तक तथा उस रीति से आवंटित करेगी, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझ।
- (3) उपरोक्त वर्णित अंतरण के प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य सरकार, जेनको को ऐसी लिखती यथा इचिवटी शब्द, प्रिफरेंस शेयर, डिवेन्चर तथा अन्य प्रतिभूतियां, राज्य सरकार के पक्ष में या अन्य कंपनी के पक्ष में, जैसा कि राज्य सरकार निदेशित करे, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से जेनको को अतिरिक्त आरितयों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए जारी करने का निर्देश दे सकेगी।

मनुसूनी - "या"

पारेषण उपक्रम

पारेषण उपक्रम में विद्युत के पारेषण से संबंधित मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की समस्त आरितयों दायित्व तथा कार्यवाहियां समाविष्ट होंगी, जिनमें निम्नलिखित समिलित हैं किन्तु उन तक ही सीमित नहीं हैं।

एक- पारेषण आरितयां -

साँौ डबल सॉकेट / सिंगल सॉकेट टावर पर सिंगल सॉकेट पारेषण लाइन जिनकी पारेषण दूसरा 66 कोही एवं उससे अधिक हो (मत्ते ही वे वर्तमान में 66 कोही से कम बोल्टेज पर चार्ज हो), विभिन्न कमता के पिछले विद्युत उपक्रम तथा उनसे संबद्ध एवं संबंधित उपकरण, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेपडाउन ट्रांसफार्मर, सॉकेट ब्रेकर, बोटरिंग व्यवस्था तथा अन्य शुल्क उपकरण पारेषण लाइन संचार व्यवस्था के साथ, संबंधित नियन्त्रण कक्ष, नार, प्रेषण केंद्र, मुनियांगमन ले अधिकार सहित), नवन, सङ्केत एवं प्रदेश की परिस्थिति को भीतर एवं बाहर स्थित सहायक आरितयां, साथ ही ऐसी नियन्त्रणीय एवं अधियोग्यता आरितयां, अतिरिक्त या जिनके अधिकार मण्डल के पार जंतरण, विद्युत, जट्टों या चाचना निहित थे, याहिं पर तु ऐसी नियन्त्रणीय चाचना (पानानामों को छोड़कर, जो विधिक तौर पर किसी अन्य के स्वामित्व में हो और उनके द्वारा संचालित किये जाते हों)।

उपरोक्त के अतिरिक्त 33 कोही या उससे बान बोल्टेज के वितरण तंत्र, जो 66 कोही या उससे अधिक कमता के पिछले विद्युत उपक्रम में हैं तथा जो 66 कोही या उससे अधिक बोल्टेज को, 33 कोही तथा कम बोल्टेज में परिवर्तित करने का अभिन्न हिस्सा है, पारेषण तंत्र का हिस्सा होता तथा ऐसी आरितयां वितरण उपक्रम का हिस्सा नहीं होती, वाहू किसी अन्य अनुसूची में कुछ भी अंतर्विष्ट क्षणों न हों।

दो- सामान्य आरितयां -

- (क) निम्नांकित यदि वे अनन्य रूप से या ग्राहकिक तौर पर उपरोक्त उल्लिखित पारेषण तंत्रों सम्पत्तियों या परिवर्तनाओं से संबंधित या उन पारेषण तंत्रों सम्पत्तियों या परिवर्तनाओं जी गतिविधियों से संबद्ध हों।

विशिष्ट औजार तथा उपकरण, मटेरियल हेडलिंग इक्युपर्ट, मिटटी की खुदाई कार्य से संबंधित मशीनें (अर्थ मूरसी) बुलडोजर, एंप्रोट निपलर, क्रेन, ट्रेलर, हल्के तथा भारी वाहन, फॉकर, फिल्फर, कार्यालयीन उपकरण, पुराकार, कंडीशनर, रेफिजरेटर, कम्प्यूटर, सिंगल तंत्र, अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला माल, कच्चा माल, मूर्मि तथा सिविल के स्थापित कार्य जैसे नवन, सङ्केत, स्टाफ क्वाटर्स, विश्राम गृह, सामान्य तथा दौड़े जाने उनसे सम्बद्ध व्यवन, नारशालाय, औरशालाय, जांन प्रयोगशालाओं तथा उपकरण, प्रशिक्षण केंद्र, कार्यशालायें चल रहे कार्य, सुधार के लिये भेजी गई मशीनें तथा उपकरण तथा अनुपयोगी और रद्दी गाल।

- (ख) हिस्सेदारी भागीदारी वाले (शेयर) विद्युत उपक्रमों में, मण्डल में निहित अधिकारों की सीमा तक, जिसके अंतर्गत :-

विशिष्ट औजार तथा उपकरण, मटेरियल हेडलिंग इक्युपर्ट, मिटटी की खुदाई कार्य से संबंधित मशीनें (अर्थ मूरसी) बुलडोजर, कंडीशनर, क्रेन, ट्रेलर, हल्के तथा भारी वाहन, फॉकर, फिल्फर, कार्यालयीन उपकरण, पुराकार, कंडीशनर, रेफिजरेटर, कम्प्यूटर, सिंगल तंत्र, अतिरिक्त कलपुर्जे, खपने वाला माल, कच्चा माल, मूर्मि तथा सिविल के स्थापित कार्य जैसे नवन, सङ्केत, स्टाफ क्वाटर्स, विश्राम गृह,

सपत्नियों तथा दोचे तथा उनसे सम्बद्ध भवन, पाठशालायें, औषधालय, जांच प्रयोगशालायें तथा उपकरण, प्रशिक्षण केन्द्र, कार्यशालायें, कार्य प्रगति में, सुधार के लिये भेजी गई मशीनें तथा उपकरण तथा अनुपयोगी और रद्दी माल।

(ग) सभी स्वतंत्र एवं एकमात्र (स्टेंड एलोन) विश्राम गृह, जो मण्डल के किसी विद्युत उपकोन्डों या स्थापना का अंग नहीं है।

(घ) जो इस अनुसूची में अन्यत्र उल्लिखित नहीं हैं ऐसी कार्यालयीन स्थापना एवं अन्य भवन तथा भूमियां, तथा जो अंतरण की प्रगती तारीख पर प्रदानता पारेषण उपकरणों की गतिविधियों के लिये कब्जे / उपयोग में हैं।

होन— विवेद्य :-

- (१) कान्ट्रेकट, करारनामा, हित तथा ठहराव, उस सीमा तक, जहां तक वे, पारेषण गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में रांभित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (२) उद्यार प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत, उस सीमा तक जहां तक वे, पारेषण गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (३) अन्य चालू आस्तियां, उस सीमा तक जहां तक वे, पारेषण गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (४) अन्य चालू दायित्व तथा पाक्षात्, तस भीमा तक जहां तक वे, पारेषण गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (५) आकस्मिक दायित्व, उस सीमा तक जहां तक वे, अभिज्ञात तथा पारेषण गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में रांभित आस्तियों से राम्बद्ध या रांभित हैं।
- (६) अन्य दायित्व, उस सीमा तक जहां तक वे, पारेषण गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (७) कार्यवाहियां, उस सीमा तक जहां तक वे, पारेषण गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।

पार— सामान्य —

- (१) पारेषण उपकरण की आस्तियां, द्रांसकों में निहित होंगी।
- (२) साला सरकार, निगम 10 में नर्धित अन्तिम(मानीजननल) अवधि की समाप्ति के बादले, मध्यान्देश वाला निवृत मण्डल के दायित्व, द्रांसकों को उस सीमा तक तथा उस प्रकार से आपदित करेगी, जैसा कि राज्य सरकार उन्हित समझे।
- (३) उपरोक्त पर्याप्त अंतरण के प्रतिकल स्पल्प, राज्य सरकार द्रांसकों को, ऐसी लिखते यथा इमिपटी शेवर, प्रिफरेंस शेवर, डिबेन्चर तथा अन्य प्रतिसूतियां, राज्य सरकार के पक्ष में या अन्य कंपनी के पक्ष में, जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से द्रांसकों को अंतरित आस्तियों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, जारी करने का निर्देश दे सकेंगी।

अनुसूची — "ग"

डिरकाम—1 का वितरण उपकरण

डिरकाम 1 के वितरण उपकरण में, सामान्यतया मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर, रीवा और रामगढ़ सांगागी से मिलकर बनने वाले विद्युत प्रदाय के हेतु में, विद्युत के वितरण से, संबंधित मण्डल की समस्त आस्तियां, यायित और कार्यवाहियां समावेष होंगी, जिनमें निन्मलिखित सामिलित होंगी। किन्तु वे केवल उन्हीं तक हीं सीमित नहीं होंगी, अथोत् —

एक. वितरण आस्तियां :-

रामी 33 के लौ, 11 के लौ, निम्न दाब (दो तार सिंगल फेस से पांच तार 3 फेस तक) लाइन (ओलरेल लाइनों, एरियल बंध केबल तथा भूमिगत केबल के साथ) तथा विमिन प्रकार के अवलम्बन (सोटी) के विद्युत उपकरण, अनेक आकार के कार्डकटरों सहित तथा स्टेप अप/स्टेपडाउन द्रांसकार्मर, बैकर, सुरक्षा तथा मापक सामग्र

तथा नियंत्रण कक्ष, जांच प्रयोगशालायें, भूमि(आवागमन के अधिकार सहित), सड़कें, भवन, डीजल जनरेटर सेट या अन्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक उत्पादन इकाइयां, सर्विस कनेक्शन तथा उपभोक्ता के परिसर के भीतर लगे हुए उपकरण, सड़क बत्ती (स्ट्रीट लाइटिंग) और सिंगल व्यवस्थाएँ, जो मण्डल के रवानित्व में हैं या मण्डल को पट्टे पर दी गई हैं साथ ही अंतरण प्रभावी होने की तारीख से उपरोक्त आस्तियों में से कई भी निर्माणाधीन आस्ति, परन्तु ऐसी फिटिंग एवं फिल्डर्स या लगावाये गये उपकरण आदि को छोड़कर जो किसी व्यक्तियों या स्थानीय प्राधिकरणों के रवानित्व में हैं ।

दो. सामान्य आस्तियाँ :-

निम्नलिखित आस्तियाँ, यदि वे अनन्य रूप से या प्राथमिक तौर पर उपरोक्त वर्णित वितरण तंत्र, संपत्ति या परियोजनाओं या ऐसे वितरण तंत्रों, संपत्तियों या परियोजनाओं की गतिविधियों से संबंधित हों ।

विशेष ओजार तथा उपकरण, मटर्सर्यल डॉलरेंग इक्युपमेंट, मिट्टी की खुदाई कार्य से संबंधित मशीन (ऊर्ध्व मूररी) बुलडोजर, कॉम्प्रोट मिक्सर, क्रेन, ट्रैलर, हल्के तथा भारी वाहन, फीनीचर, फिक्सचर्स, कार्यालयीन उपकरण, एयर कॉलीशनर, रेफिजरेटर, कम्प्यूटर, सिंगल तंत्र, अतिरिक्त कल्पुर्ज, खपने वाला माल, कच्चा माल, भूमि तथा सिविल के संस्थापन संबंधी कार्य जैसे भवन, सड़कें, एटाफ प्लाटर्स, विश्राम गृह, संपत्तियाँ तथा ढांचे तथा उनसे सम्बद्ध भवन, पाठ्यालाय, औपचालय, जांच प्रयोगशालायें तथा उपकरण, प्रशिक्षण केन्द्र, कर्मशालायें, चल रहे कार्य, सुधार के लिये भेजी गई मशीनें तथा उपकरण तथा अनुपश्चीयों और रववी पात ।

ऐसी कार्यालयीन स्थापना तथा भवन तथा भूमि, जो इस अनुसूची में अन्तर्कासी भी वर्णित न हो और जो अंतरण प्रभावी होने की तारीख को प्रदानत डिस्काम-1 के वितरण उपकरणों की गतिविधियों के लिये अधिकारीगं में हों / उपयोग में लाई जा रही हों ।

तीन. विविध :-

- (1) कान्ट्रेक्ट, करारनामा, हित तथा रहस्य, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (2) उधार प्रतिशूल तथा अप्रतिशूल, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (3) अन्य चालू आस्तियाँ, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (4) अन्य चालू दायित्व तथा प्राक्पान, उस सीमा तक जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (5) आकर्षिक दायित्व, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, मान्यताप्राप्त तथा वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (6) अन्य दायित्व, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।
- (7) यार्डपाहियाँ, उस सीमा तक जहाँ तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तियों से सम्बद्ध या संबंधित हैं ।

चार. सामान्य :-

- (1) वितरण उपकरण की आस्तियाँ, डिस्काम-1 में निहित होंगी ।
- (2) राज्य सरकार, नियम 10 में वर्णित अनंतिम(प्रार्वाजनल) अवधि की समाप्ति के पहले, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के दायित्व डिस्काम-1 को उस सीमा तक तथा उस रीति में आवंटित करेगी, जिसे कि वह ठीक समझे ।

(3) उपरोक्त अंतरण के प्रतिक्रिया रूपरूप, राज्य सरकार डिस्काम-1 को, ऐसी लिखते, जैसे इकिकटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, डिक्रेन्यर तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार के पास ने या अन्य कम्पनी के पास मैं जैसा कि राज्य सरकार, निवेशित करें, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से डिस्काम-1 को अंतरित आरितयों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए यारी करने के लिए निवेश दे सकेंगे।

अनुसूची - "घ"

डिस्काम-2 का वितरण उपक्रम

डिस्काम-2 के वितरण उपक्रम में, सामान्यतया मध्यप्रदेश राज्य के भोपाल होशगढ़ाद, बन्दल और ग्यालियर संभागों से निलकर बनाने वाले विद्युत प्रदाता के सेवा में, विद्युत के वितरण से संबंधित मण्डल की निम्नलिखित समस्त आरितयाँ, दायित्व एवं कारबाहियाँ सनावेष्ट होंगी। जिनमें निम्नलिखित साम्भालत होंगी, किन्तु वे केवल उन्हीं तक ही सीमित नहीं होंगी, अर्थात्—

एक वितरण आरितयाँ—

सभी 33 कोहर्डी, 11 कोहर्डी, निम्न दाव (दो तार सिंगल फेस से पांच तार 3 केस तक) ताइने (ओफरहेड लाइनों, एरियल बैच केबल तथा भूमिगत केबल के साथ) तथा विभिन्न प्रकार के अवलम्बन (स्पोट) को विद्युत उपकरण, जोकि वाकार के कॉडबटरों द्वारा तथा रटें जा। / रेंगाड़न इम्प्राइमर, ब्लैक, सुप्राक तथा मापक सापन तथा नियन्त्रण कदा, जांच प्रयोगशालाय, भूमि(बावागमन के अधिकार सहित), सहवालें, बवन, डीजल जनरेटर सेट या अन्य पारंपरिक और नैर पारंपरिक उत्पादन इकाइयाँ, सर्विस करनेशन तथा उपसेक्टा के परिसर के भीतर लगे हुए उपकरण, साइक बन्ती (स्ट्रीट लाइटिंग) और सिंगल व्यवस्थायें जो मण्डल के स्वामित्व में हैं या मण्डल को पटाए पर दी गई हैं साथ ही अंतरण प्रभावी होने की तारीख से उपरोक्त आरितयों में से कोई भी निम्नांकीन आरित, परन्तु ऐसी फिलिंग एवं फिलिंग द्वारा लगवाये गये उपकरण आदि वो छोड़कर जो किसी निजी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व में हैं।

दो. सामान्य आरितयाँ—

निम्नलिखित आरितयाँ यदि वे अनन्य रूप से या प्राथमिक तौर पर उपरोक्त वितरण तंत्र, संपत्ति या पारंपरिक जनजाति या ऐसे वितरण तंत्र, संपत्तियों या पारंपरिक जनजाति की गतिविधियों से संबंधित हों—

विशिष्ट औजार तथा उपकरण, मटेरियल हॉलिंग इवेपॉर्ट, मिट्टी की खुदाई कार्य से संबंधित मालीने (अर्ध पूर्वी) बुलडोजर, कॉमोट रिक्सर, ब्लैन, ट्रेलर, हल्फे तथा मारी याहन, कर्नीपर, फिक्सवर्स, कार्यालयीन उपकरण, एयर कटीशनर, रेफ्रिजरेटर, कम्प्यूटर, सिगनल ट्रॅक, अतिरिक्त कल्पुत्रे, खपन वाला माल, कच्चा गाल, गूमि तथा सिविल के संस्थापन संकीर्ण कार्य जैसे बवन, जड़क, स्टाक ब्लाटर्स, विभास गृह, संपत्तियाँ तथा दावे तथा उनसे संबद्ध बवन, पारंपरिक जनजाति या स्थानीय प्राधिकरण तथा उपकरण, कार्यालयीन एवं कर्मशालाय, चल रहे कार्य, सुधार के लिये भजा गई मालों तथा उपकरण तथा अनुपयोगी और रद्दी माल।

ऐसी कार्यालयीन स्थापना तथा अन्य सवन तथा भूमियाँ, जो इस अनुसूची में अन्यत्र कहीं भी वर्णित न हों और जो अंतरण प्रभावी होने की तारीख को प्रायान्तर डिस्काम-2 के वितरण उपक्रमों वाली गतिविधियों के लिये अधिकार ने हों / उक्तोंमें जाइ जा रही हों।

तीन विधिः—

- (1) कान्टेक्ट, करत्तनामाहित तथा ठहराव, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संकेती गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त ऐसे एक तथा दो में संदर्भित आरितयों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (2) तथार प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत, उस सीमा तक, जहाँ तक कि वे, वितरण संकेती गतिविधियों या उपक्रमों या उपरोक्त ऐसा एक तथा दो में संदर्भित आरितयों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।

(3) अन्य पालू आरितयां, उस तीव्रा तक जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आरितयों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।

(4) अन्य चालू दायित्व तथा प्रावधान, उस सीमा तक जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आरितयों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।

(5) आकर्षित दायित्व, उस सीमा तक जहां तक कि वे, मान्यता प्राप्त तथा वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आरितयों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।

(6) अन्य दायित्व, उस सीमा तक, जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दों संदर्भित आरितयों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।

(7) कार्यवाहिया, उस सीमा तक जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आरितयों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।

चार. सामान्य :-

(1) वितरण उपकरण की आरितयों, डिस्काम-2 में निहित होंगी।

(2) राज्य सरकार, नियम 10 में वर्णित अन्तिम(द्वावीजनल) अवधि की समाप्ति के पहले, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के दायित्व डिस्काम-2 को उस सीमा तक रखा उस रीति में आवश्यक करेगी, जिसे कि वह ठीक रागड़।

(3) उपरोक्त अंतरण के प्रतिफल स्वरूप, राज्य सरकार डिस्काम-2 को ऐसी स्थिति जैसे इनिष्टी शेयर, इन्वेस्ट शेयर, डिवेन्यू तथा अन्य प्रतिशूलिया, राज्य सरकार ये पक्ष में या अन्य कागजी के पक्ष में, जैसा कि राज्य सरकार नियंत्रित करे, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने डिस्काम-2 को अंतरित आरितयों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, जारी करने का निर्देश दे सकेगी।

अनुसूची - "ए"

ठिरकाम 3 का नियमण उपकरण

डिस्काम-3 के वितरण उपकरण में सामान्यतया मध्यप्रदेश राज्य के हृदीर एवं उज्ज्वल संचारों से भिन्नकर हनने वाले विद्युत प्रदायक के सेव्र में विद्युत के वितरण से संबंधित मण्डल की नियंत्रिति समर्त आरितयां, दायित्व एवं कार्यवाहिया समाविष्ट होंगी जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी । किन्तु ये केवल उन्हीं पाक ही तीनिंग गहीं होंगी । अर्थात् :-

एक. वितरण आरितयों :-

होनी 33 के ही, 11 वोल्ट, निम्न दाव (दो तार सिंगल फेस से पांच तार 3 फेस तक) लाइने (ओवरहेड लाइनों, एवरिल बैंग केबल तथा भूमिगत केबल के साथ) तथा विगिन प्रकार के अवलम्बन (स्पॉट) के विद्युत उपकरण, जांच वालान वे कॉडलस्ट्री सहित तथा रोप अथवा प्रॉपलास्ट्री ट्रालफार्म डेकर सुख्ता तथा नापक साधन तथा नियंत्रण कक्ष, जांच प्रयोगशालाएं, भूमि(आवागमन के अधिकार सहित), राल्वे, भवन, डीजल जनरेटर सेट या अन्य पारपरिक और नि: पारपरिक उपकरण इकाइयां, सर्विस कनेक्शन तथा उपकरण के पारिसर के भीतर लगे हुए उपकरण, भूमि वाली (स्टील लाइटिंग) और सिंगलल व्यवस्थाएं, जो मण्डल के स्वामित्व में हैं या मण्डल को पट्टे पर दी गई हो सकती होने की जारीख से उपरोक्त आरितयों में से कोई भी नियंत्रित आरित, परन्तु ऐसी फिटिंग एवं फिक्सेशन या लगवाये ये उपकरण आदि को छोड़कर जो किसी निजी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियमित में है ।

दो. सामान्य आरितया :-

निम्नलिखित आरितयां, यदि दे जनन्य रूप से या प्राथमिक तौर पर उपरोक्त वर्णित वितरण तंत्र, संपत्ति या पारियोजनाओं या ऐसे वितरण तंत्र, संपत्तियों या पारियोजनाओं की नियंत्रितियों से संबंधित हो ।

विशिष्ट औजार तथा उपकरण, मटेरियल हैंडलिंग इक्युपमेंट, मिट्टी की खुदाई कार्य से संबंधित मशीनें (अर्थ सुख्ती) बुलडोजर, कॉकीट निक्सर, क्रेन, ट्रेलर, हल्के तथा भारी ग्रहन, फॉर्चर, फिक्सचर, कार्यालयीन उपकरण, एयर कंटीशनर, रेफिजरेटर, कम्प्यूटर, सिंगल तंत्र, अतिरिक्त कलपुरा, छपने वाला माल, काचा भाल, भूमि तथा रिविल के संस्थापन सम्बन्धी कार्य जैसे भवन, सड़कें, रेलफ ब्याटरी, विभाग गृह, संपत्तियां तथा द्वाधे तथा उनसे सम्बद्ध भवन, पाठशालाएं, औषधालय, जांच प्रयोगशालाएं तथा

उपकरण, परिषिक्षण केन्द्र कर्मशालायें चल रहे कार्य सुधार के लिये मेजी गड्ढ मशीने तथा उपकरण तथा अनुपयोगी और रद्दी भाल।

ऐसी कार्यालयीन स्थापना तथा अन्य भवन तथा भूमियां, जो इस अनुसूची में अन्यत्र कही भी वर्णित न हो और जो अतरण प्रभावी होने की तरीख को प्रधानत डिरकाम-३ के वितरण उपकरणों की गतिविधियों के लिये अधिगम में हो / उपयोग में लाई जा रही हों।

तीन. विविध :-

- (१) कान्ट्रोकट करारनामा, हित तथा ढहराव, उस सीमा तक जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त कंडिका एक से दो में संदर्भित अस्तित्वों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (२) चालन धूतिभूत तथा आर्टिभूत, उस सीमा तक, जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित अस्तित्वों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (३) अन्य चालू दायित्व तथा प्रावधान, उस सीमा तक, जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तित्वों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (४) अन्य चालू दायित्व तथा प्रावधान, उस सीमा तक, जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तित्वों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (५) आवरिण्णन दायित्व, उस सीमा तक, जहां तक कि वे, मानवता प्राप्त तथा वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित अस्तित्वों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (६) अन्य दायित्व, उस सीमा तक, जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तित्वों ते सम्बद्ध या संबंधित हैं।
- (७) कार्यवाहियां, उस सीमा तक जहां तक कि वे, वितरण संबंधी गतिविधियों या उपकरणों या उपरोक्त पैरा एक तथा दो में संदर्भित आस्तित्वों से सम्बद्ध या संबंधित हैं।

चार. सामान्य :-

- (१) वितरण उपकरण की आस्तियां, डिरकाम-३ में निर्दित होंगी।
- (२) राज्य सरकार- नियम १० में वर्णित अन्तिम(प्रार्थीजनन) अवधि की समाप्ति के पहले, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की दायित्व डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को उस सीमा तक तथा उस रीति से आवंटित करेगी, जिसे कि वह ठीक समझे।
- (३) उपरोक्त अंतरण के प्रतिकल स्वल्प, राज्य सरकार, डिरकाम-३ को, ऐसी लिखते जैसे इच्छिती देयर, विफर्मेंस शायर, नियोनर तथा अन्य प्रतिमूलिक राज्य सरकार की पाल में या अन्य कम्पनी के गल में जैसा कि राज्य सरकार नियोनित करे, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से डिरकाम-३ को अंतरित आस्तियां और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, जारी करने का निर्देश दे सकेंगी।

अनुसूची “व”

मध्यप्रदेश राज्य नियुक्त मण्डल में प्रतिमारित कृत्य तथा विमर्शारित

- (१) बड़ी मात्रा में कृत्य तथा प्रदाय के कृत्य, अर्थात् उत्पादन कंपनियों से, जिनमें जैनको भी सम्भिलित है, बड़ी मात्रा में विद्युत कृत्य तथा डिस्ट्रिक्ट मात्रा में विद्युत का प्रदाय, तथापि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल ऐसी तारीख से, जिसे राज्य संरकार, इच्छिता करे, मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत उपकारणों को विद्युत एवं इच्छाय संबंधी कियाकलाप का जिम्मा नहीं लेगा।
- (२) उस सीमा तक प्रतिघारित किये जाने वाले यायिल, जो कि राज्य सरकार द्वारा, इस नियित जारी निर्देश के अनुसार हो।

(3) रकमों के रूप में वे आस्तियाँ, जिन्हें कि राज्य सरकार, अंतरिती द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को, उपरोक्त खण्ड (2) के अनुसार प्रतिभारित धारियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए उरा दीगा तक तथा उस रीति में, जैसा कि राज्य सरकार सन्मित तारीख, दिया जाना निर्देशित करे।

(4) गवाय तथा बैंक बेतेन्स प्रतिवारित किए जाएंगे तथा अंतरितियों को उस रीता तक दिए जावेंगे, जहाँ तक कि, वे उनसे संबंधित या सम्बद्ध हो या जैसा कि राज्य सरकार इस नियमित निवेश जारी करे।

(5) स्पष्टत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) से प्रतिभूति निवेश के रूप में जीवी यह रकम, जो सावधि जमा (फिक्सड फिल्पिंट) से जप में स्टॉर बैंक व्हीक इंटिया की राता है।

नोंपात्र दिनांक 30 सितंबर 2003

क्रमांक 6269-एफआरएस-1/-तेरह-2003 — भारत के संघीयन के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में, मध्यप्रदेश विद्युत न्युमार प्रध्यन अंतरण योजना नियम, 2003 का अंतर्नी अनुवाद राज्यपाल के पारिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धीरज माधुर, सचिव

Energy Department
Mantralaya, Vallabh Bhavan
Bhopal, the 30th September 2003

RULES

No. 6259/FRS/17/13/2002 - In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (5), (6) and (7) of section 131 and section 133 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-sections (1), (2) and (3) of Section 23, 24 and sub-section (2) of section 56 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001), the State Government hereby makes the following Rules for regulating the transfer and vesting of functions, properties and interests, rights and liabilities of the Madhya Pradesh State Electricity Board in the State Government and re-transfer and re-vesting thereof by the State Government in any other company or body corporate or authority and also for the transfer of Personnel of the Madhya Pradesh State Electricity Board to any other company or body corporate or authority and for determining the terms and conditions on which such transfer and vesting shall be made, namely:-

Short title, extent and commencement.	<ol style="list-style-type: none"> (1) These Rules may be called the Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003. (2) They extend to the whole of the State of Madhya Pradesh. (3) They shall come into force from such date as the State Government may, by notification appoint and different dates may be appointed for different provisions and different transfers as may be notified.
Application of Rule to the Assets and Liabilities	<ol style="list-style-type: none"> 2. They shall apply to the assets, properties, interests, rights and liabilities, proceedings and personnel of the Board within and outside the State.
Definitions.	<ol style="list-style-type: none"> 3. In These Rules, unless the context otherwise requires - (a) "ACT" for the purpose of these Scheme Rules means the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001); (b) "Board" means Madhya Pradesh State Electricity Board constituted under Section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948); (c) "Central Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003); (d) "Company" means the company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956); (e) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, constituted under Section 3 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001) and recognized under section 82 of the Central Act; (f) "Date of the transfer" means the date notified by the State Government for effecting transfer of functions, properties, interest, rights and liabilities, proceedings or personnel of the Board to the relevant Transferee in accordance with the Act and these Scheme Rules; (g) "Distribution Companies" means Discom 1, Discom 2 and Discom 3 for distribution and retail supply of electricity;

(h) "Discom 1" means Madhya Pradesh Poorv Khestra Vidyut Vitaran Company Limited, a company incorporated with the main object of undertaking electricity distribution and retail supply in the Commissioneries of Jabalpur, Rewa, and Sagar of the State of Madhya Pradesh;

(i) "Discom 2" means Madhya Pradesh Madhya Khestra Vidyut Vitaran Company Limited, a company incorporated with the main object of undertaking electricity distribution and retail supply in the Commissioneries of Bhopal, Hoshangabad, Chambal and Gwalior of the State of Madhya Pradesh;

(j) "Discom 3" means Madhya Pradesh Paschim Khestra Vidyut Vitaran Company Limited, a company incorporated with the main object of undertaking electricity distribution and retail supply in the Commissioneries of Indore and Ujjain of the State of Madhya Pradesh;

(k) "Genco" means the Madhya Pradesh Power Generating Company Limited, a company incorporated with the main object of generation of electricity in the State of Madhya Pradesh;

(l) "Liabilities" include all liabilities, debts, duties, obligations and other outgoing including statutory liabilities and Government levies of whatever nature and contingent liabilities which may arise in regard to the dealings before the date of the transfer in respect of the Undertakings transferred under these Rules;

(m) "Personnel" means workmen, employees, staff and officers of the Board by whatever name called and includes trainees, if any for the recruitment in the Board and those on deputation from the Board to other organizations or institutions;

(n) "Proceeding" means the proceedings of whatever nature including suits, appeals, complaints, petitions, applications, conciliatory, arbitration whether civil or criminal or otherwise;

(o) "Property" means all assets includes power systems, plant, machinery, land, building, offices, stores, furnitures, fixtures, vehicles, residential quarters and guest houses and amenities and installations pertaining and attached thereto and other movable and immovable assets, cash in hand, cash at bank, investments, book debts, corporeal and incorporeal, tangible and intangible assets, benefits, licenses, consents, authorities, registrations, patents, trade marks and powers of every kind, nature and description whatsoever, privileges, liberties, easements, advantages, benefits and approvals, contracts, deeds, schemes, bonds, agreements and other instruments and interest of whatever nature and wherever, situate;

(p) "Schedule" means the Schedules appended to these Scheme Rules;

(q) "State" means the State of Madhya Pradesh;

(r) "Transco" means the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited, a company incorporated with the main object of undertaking the transmission of electricity in the State of Madhya Pradesh;

(s) "Transferee" means TRANSCO or GENCO or DISCOM-1 or DISCOM-2 or DISCOM-3, as the case may be, in whom the functions and Undertakings of the Board are vested in terms of the provisions of the Act read with these Scheme Rules;

(t) "Undertaking" means the functions of the Board and a block or blocks of properties, interest, rights and liabilities to the extent and in the manner specified as a part of the undertakings and such other properties, interest, rights and liabilities as specified in these Scheme Rules relevant to the functions;

(u) Words and expressions used in this Scheme rules and defined in the Act and Central Act but not specifically defined in these scheme rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act and Central Act.

3. (1) The undertakings of the Board are classified in the following Schedules: **Classification of Undertakings of the Board.**

- (a) Generation Undertakings as set out in Schedule – 'A';
- (b) Transmission Undertakings as set out in Schedule – 'D';
- (c) For DISCOM 1, the Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'C';
- (d) For DISCOM 2, the Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'D';
- (e) For DISCOM 3, the Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'E'; and
- (f) The Undertakings as set out in Schedule – 'F'.

(2) If the assets of the Undertaking under sub-rule (1) are subject to security documents or arrangements in favour of third parties for any financial assistance or obligation taken by the Board and the liabilities in respect thereof are to be classified in different Undertakings, the State Government, may by order to be issued for the purpose, provide for the apportionment of the liabilities secured by such properties, assets and rights between the different Undertakings and upon such apportionment, the security shall be applicable to the extent of apportioned liability.

5.(1) On and from the date of transfer to be notified by the State Government the properties and all interests, rights and liabilities of the Board as specified in Schedules 'A' to 'E' shall stand transferred to and vested in the State Government for the purposes of the Transfer Schemes under these Scheme Rules. **Transfer of property to the State.**

(2) Nothing in sub-rule (1) shall apply to rights, responsibilities, liabilities and obligations in respect of the personnel and personnel related matters including statutory dues such as salary, wages, gratuity, pension, provident fund, compensation terminal and retirement benefits and the same shall be dealt in the manner provided under Rule 7 of these Scheme Rules.

**Transfer of
Undertaking by
the State.**

6. (1) The Undertakings forming part of Generation Undertakings as set out in Schedule – 'A' shall stand transferred to and vested in GENCO on and from the date of the transfer to be notified by the State Government subject to the terms and conditions specified in the Act and these Scheme Rules.

(2) The Undertakings forming part of Transmission Undertakings as set out in Schedule – 'B' shall stand transferred to and vested in TRANSCO on and from the date of the transfer to be notified by the State Government subject to the terms and conditions specified in the Act and these Scheme Rules.

(3) The Undertakings forming part of Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'C' shall stand transferred to and vested in DISCOM – 1 on and from the date of the transfer to be notified by the State Government subject to the terms and conditions specified in the Act and these Scheme Rules.

(4) The Undertakings forming part of Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'D' shall stand transferred to and vested in DISCOM – 2 on and from the date of the transfer to be notified by the State Government subject to the terms and conditions specified in the Act and these Scheme Rules.

(5) The Undertakings forming part of Distribution Undertakings as set out in Schedule – 'E' shall stand transferred to and vested in DISCOM – 3 on and from the date of the transfer to be notified by the State Government subject to the terms and conditions specified in the Act and in these Scheme Rules.

(6) The Undertakings or the Properties and Liabilities as set out in Schedule 'F' shall be retained by the Board till further orders of the State Government.

(7) On such transfer and vesting of the Undertakings in terms of sub-rules (1) to (5) of these Scheme Rules and except as otherwise provided, the respective transferee, shall be responsible for all functions, contracts, rights, deeds, schemes, bonds, agreements and other instruments of whatever nature relating to the respective Undertakings transferred to it to which the Board was a party, subsisting or having effect on the date of the transfer, in the same manner as the Board was liable immediately before the date of the transfer, and the same shall remain in force and effect against or in favour of the respective transferee and may be enforced effectively as if the respective transferee had been a party thereto instead of the Board.

(8) The transfer to and vesting of the Undertakings to the

(a) transferees in terms of these Scheme Rules shall take effect immediately on the date of the transfer as may be notified by the State Government for the purpose notwithstanding that the value of such Undertaking have not been determined and shall be determined at a later date.

(b) The value of the assets to be transferred to the Transferees shall be the fair value determined in any one or more of the following basis.

(i) Revenue earning potential, or

(ii) Depreciated replacement value, or

(k) Book value

(c) The opening balance sheet of the Transferees may be finalised and notified by the State Government at any time during the provisional period mentioned in Rule 10 of these Scheme Rules.

(9) The State Government may by an order to be issued for the purpose amend, vary, modify, add, delete or otherwise change the terms and conditions specified in the Schedules at any time during the provisional period mentioned in Rule 10 of these Scheme Rules.

**Transfer of
Personnel.**

7. (1) The transfer of personnel shall be subject to the terms and conditions contained in section 133 of the Central Act and section 24 of the Act.
- (2) (a) On the Date of Transfer, notified by the State Government for transfer of the specific Undertakings under Rule 6, the personnel of the Board shall stand assigned to the services of the Genco, Transco, Discom-1, Discom-2 and Discom -3, as the case may be, on as is where is basis, namely, that they will continue to serve in the place where they are posted on the date of the transfer, till further orders of the State Government.
- (b) The State Government may issue orders from time to time directing the personnel rendering services in the Board relating to undertakings classified in two or more of the Schedules, to be assigned to the undertakings classified under a specified schedule and thereupon such personnel shall be deemed to have assigned to the services of such undertakings for all intent and purposes.
- (3) The assignment under sub-rules (1) and (2) above to the transferees shall continue till the personnel are absorbed in the services of the specific Transferee, in accordance with the provisions of the Act, these Scheme Rules, and orders to be issued by the State Government under these Scheme Rules.
- (4) The State Government shall in consultation with the Genco, Transco, Discoms and the Board finalise the transfer to and permanent absorption of the Personnel in a Transferee taking into account the suitability, ability and experience of the personnel, number and nature of the vacancies and other relevant factors and issue appropriate orders, as it may think fit, for such permanent absorption within the provisional period mentioned in Rule 10.

(5) For the purpose of sub-Rule (4) above the State Government shall, in consultation with Genco, Transco, Discoms and the Board, constitute a Committee as the State Government may consider appropriate to (a) receive representations from the Personnel in regard to their transfer and absorption in the transferee, and (b) to make recommendation on such transfer and absorption, within such time as State Government may by notification specify for the purpose.

(6) The State Government shall take a decision on the transfer and permanent absorption of the Personnel in the Transferee after considering the recommendation of the Committee appointed for the purpose and shall issue orders for such transfer and permanent absorption of the Personnel.

(7) Upon the finalization and issue of orders in terms of the sub-rule (6), the personnel shall form part of the service of the Transferee concerned, in the post, scale of pay or seniority in accordance with the orders that may be issued for this purpose, without any further act, deed or thing to be done by the State Government or the Board or the Transferee or any other person including the personnel.

(8) Subject to the provisions of the Act and these Scheme Rules, the transferee shall be entitled to modify or frame new regulations governing the conditions of service of personnel transferred to the transferee under these Scheme Rules but their rank, scale of pay, salary, allowances and other pecuniary benefits including terminal benefits etc., after the effective date of transfer shall not in any way be inferior to those applicable to them immediately before the transfer.

(9) In respect of all statutory and other schemes and employment related matters including the provident fund, gratuity fund, pension and any other superannuation fund or any other special fund created or existing for the benefit of the personnel, the relevant transferee shall stand substituted for the Board for all purposes and all the rights, powers and obligations of the Board in relation to any and all such matters shall become those of the transferee concerned and the services of the personnel shall be treated as having been continuous for the purpose of the application of these Scheme Rules.

(10) The State Government shall notify appropriate arrangements in regard to the funding of the pension funds and other personnel related funds by the transferees to the extent they are not funded on the date of the transfer of the Personnel from the Board including for the due payment of the amounts to personnel who retire after the date of the transfer, by the respective transferees to which these personnel are transferred and till such time such payments shall be duly made by the Board.

(11) The State Government shall notify appropriate arrangements in regard to the funding and due payment of the terminal benefits to the existing pensioners of the Board as on the date of the transfer and till such time such payments shall be duly made by the Board.

For the purpose of this sub-clause the term, -

- (i) "Existing Pensioner" means all the persons eligible for the pension as on the date of the transfer from the Board and shall include family members of the personnel, and
- (ii) "Terminal Benefits" mean the gratuity, pension, dearness and other applicable relief, medical benefit, and other applicable benefits including the right to have the appropriate revisions in the above benefits consistent with the practice that were prevalent in the Board.

- (12) The provisions of sub-rules (9), (10) and (11) above shall not apply to any personnel, other than the existing personnel and existing pensioner of the Board, as on the date of transfer. All personnel recruited and appointed by the transferee shall be governed by, Contributory Provident Fund Scheme or any other appropriate scheme, which the transferee concerned may establish, for the purpose, and not by the pension schemes of the existing personnel and existing pensioner(s), under sub-rules (9), (10) and (11) above.
- (13) All proceedings including disciplinary proceedings pending against the personnel prior to the date of the transfer from the Board to the transferee or from such transferee to another transferee, as the case may be, or which may relate to misconduct, lapses or acts of commission or omission committed before the date of the transfer, shall not abate and may be continued by the relevant transferee.
- (14) The personnel transferred to the transferee, shall be deemed to have entered into an agreement with the transferee concerned to repay loans, advances and other sums due or otherwise perform obligations undertaken by them to the Board which remain outstanding as on the date of the transfer, on the same terms and conditions as contained in the arrangement with the Board.
- (15) Nothing contained in these Scheme Rules shall apply to personnel of the State Government or the Central Government or other organization on deputation to Board as on the date of the transfer but such personnel shall continue on deputation to the concerned transferee(s) to whose services they are assigned on as is where is basis or otherwise as per the orders of the State Government from time to time, issued in this behalf.

Rights and obligations of third parties restricted.

8. Upon the transfer being effected in accordance with the provisions of the Act and these Scheme Rules, the rights and obligations of all persons (including body corporate, financial institutions, lenders, etc.) shall be restricted to the Transferee to whom they are transferred to and notwithstanding anything to the contrary contained in any deed, documents, instruments, agreements or arrangements which such person has with the Board, he shall not claim any right or interest against the State Government, Board or any other Transferee.

Pending suits, Proceedings, etc.

9. (a) All Proceedings of whatever nature by or against the Board pending on the date of the transfer shall not abate or discontinue or otherwise in anyway prejudicial be affected by reason of the transfer under these Scheme Rules and the proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the transferee to whom the same are assigned in accordance with these Scheme Rules and orders issued there under.

(b) Such proceedings may be continued in the same manner and to the same extent as it would or might have been continued, prosecuted and enforced by or against the Board if the transfers specified in these Scheme Rules had not been made.

Classification and transfer of property, rights, liabilities and proceedings to be provisional in the first instance.

10 (1) The classification and transfer of Undertakings including personnel under these Scheme Rules, unless otherwise specified in any order made by the State Government, shall be provisional and shall be final upon the expiry of twelve months from the date of the transfer.

(2) At any time within a period of twelve months from the date of the transfer, the State Government may by order to be notified amend, vary, modify, add, reduce, delete or otherwise change terms and conditions of the transfer including items included in the transfer, and transfer such properties, interests, rights, liabilities, personnel and proceedings and forming part of an Undertaking of one transferee to that of any other transferee or the Board or to the State Government in such manner and on such terms and conditions as the State Government may consider appropriate.

(3) On the expiry of the period of twelve months from the date of the transfer and subject to any directions given by the State Government, the transfer of undertakings, properties, interests, rights, liabilities, personnel and proceedings made in accordance with the Scheme Rules shall become final.

11. The transfer under these Scheme Rules shall be operated and be effective pursuant to action of the State Government by publishing these Scheme Rules and Orders issued in terms of these Scheme Rules and without any further act, deed or thing to be done by the State Government, Board, transferees or any other person, subject to the terms and conditions of these Scheme Rules. Transfer by operation of law

12. (1) The transferees shall continue to function and undertake business activities assigned to them on behalf of and as agents of the Board till such time the State Government issues a Notification authorising the transferees to undertake such functions and activities on their own and independent of the Board. Rights and Powers of the Transferees during the provisional period.

(2) The State Government may issue such Notification from time to time in respect of one or more of the transferees, but all such notifications shall be issued before the end of the provisional period as specified in Rule 10.

Decision of State Government to be final. 13. (1) If any doubt, dispute, difference or issue shall arise in regard to the transfers under these Scheme Rules subject to the provisions of the Act, the decision of State Government thereon shall be final and binding on all parties.

(2) The State Government may, by order published in the Official Gazette, amend these Scheme Rules and make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulties arising in implementing the transfers under these Scheme Rules.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

Dhiraj Mathur, Secretary

SCHEDULE - 'A'

GENERATION UNDERTAKINGS

The Generation Undertakings shall comprise of the Assets, Liabilities and proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Madhya Pradesh State Electricity Board, concerning the Generation of electricity:

I. EXISTING POWER STATIONS:

THERMAL:

A Satpura Station with PHII 1 x 200 MW plus 1x210MW and PH III2 x 210 MW generating units and with all associated and related equipment such as generators, turbines, boilers, condensers, electrostatic precipitators, controls and instrumentation, Railway Sidings, coal handling system, ash handling system, ash pond, raw water supply and treatment system, DM water plant, secondary

fuel oil storage facilities and its handling system, switch yard including step up transformers, service transformers, auxiliary unit transformers circuit breakers, HT & LT Switchgears, control and protection system, overhead cranes, chimney, Stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

B. Birsingpur Station with 4 generating units of 210 MW capacity each with all associated and related equipment such as generators, turbines, boilers, condensers, electrostatic precipitators, controls and instrumentation, Railway Sidings, coal handling system, ash handling system, ash pond, raw water supply and treatment system, DM water plant, secondary fuel oil storage facilities and its handling system, switch yard including step up transformers, service transformers, auxiliary unit transformers circuit breakers, HT & LT Switchgears, control and protection system, overhead cranes, chimney, Stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

C. Amarkantak Station with 1 x 30 MW, 1 x 20 MW and 2 x 120 MW and with all associated and related equipment such as generators, turbines, boilers, condensers, electrostatic precipitators, controls and instrumentation, Railway Sidings, coal handling system, ash handling system, ash pond, raw water supply and treatment system, DM water plant, secondary fuel oil storage facilities and its handling system, switch yard including step up transformers, service transformers, auxiliary unit transformers circuit breakers, HT & LT Switchgears, control and protection system, overhead cranes, chimney, Stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

HYDEL POWER STATIONS:

(a) Bansagar -PH-II (Silpara Station): Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 2 units of 15 MW capacity each along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

(b) Bargi Station: Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 2 units of 45 MW capacity each along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

(c) Bansagar PH-I & PH III Station: Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 3 units of 105 MW capacity each (Bansagar PH-I, Tons Hydel Power Station) and 3 units of 20 MW each (Bansagar PH-III, Deolond) along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection

system, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

(d) Birsinghpur Station: Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 1 unit of 20 MW capacity each along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

SHARED GENERATING STATIONS

(a) SATPURA THERMAL POWER STATION (an interstate project shared between Madhya Pradesh and Rajasthan) with 60% share of Madhya Pradesh having five units of 62.5 MW capacity each along with all associated and related equipment such as generators, turbines, boilers auxiliary units with controls and instrumentation, Railway Sidings coal handling system, ash handling system ash pond, raw water supply and treatment system, cooling towers, secondary fuel oil storage facilities and its handling system and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, overhead cranes, stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

(b) CHAMBAL COMPLEX: (an interstate project shared between Madhya Pradesh and Rajasthan) with 50% share of Madhya Pradesh, with 50% share of Rajasthan, on cost and benefits with 5 units of 23 MW of Gandhi Sagar, 4 units of 43 MW of Rana Pratap Sagar and 3 units of 33 MW of Jawahar Sagar. All assets are owned by both the Electricity Boards in the same ratio. O&M expenses are being met by both the Electricity Boards and reaping the power benefits based on their share.

(c) Pench Station¹: Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 2 units of 80 MW capacity each along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, pen stock and draft tube gates, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

(d) Rajghat Station²: Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 3 units of 15 MW capacity each

¹ This plant is located in Maharashtra & 2/3 rd share belongs to MPSEB, which shall be transferred to the Generating Company.

² This plant is located in Uttar Pradesh & 50% share belongs to MPSEB, which shall be transferred to the Generating Company

along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, pen stock and draft tube gates, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

II. POWER PROJECTS UNDER CONSTRUCTION:

- (a) Bansagar Hydel Power Station PH-IV(2x10MW)
- (b) Madikheda Hydel Power Station (2x20+1x20 MW)
- (c) Proposed SGTPS, Birsinghpur Extension (500 MW)

III. GENERAL ASSETS:

- (a) The following, if they exclusively or primarily pertain to the generating stations or projects referred to in Paras I and II above or activities related to such generating stations or projects:

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including dams, barrages, canals roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

- (b) The office establishment and other buildings and lands, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of Generation Undertakings as on the effective date of transfer.

IV. MISCELLANEOUS:

- (1) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or assets referred to in Para I to III above.
- (2) Loans, secured and unsecured to the extent they are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or assets referred to in Para I to III above.
- (3) Other current assets to the extent they are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or assets referred to in Para I to III above.
- (4) Other Current liabilities and provisions to the extent they are associated with or related to Generation activities or the Undertakings or Assets referred to in Para I to III above.

- (5) Contingent liabilities to the extent they are recognised and are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (6) Other liabilities to the extent they are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or Assets referred to in Para I to III above.
- (7) Proceedings to the extent they are associated with or related to Generation activities or to the Undertakings or Assets referred to in Para I to III above.

V. GENERAL:

- (1) The assets of the generating undertaking shall vest in GENCO
- (2) The State Government shall before the end of the provisional period mentioned in Rule 10 allocate the liabilities of MPSEB to GENCO in the extent and in such a manner, as the State Government may deem proper.
- (3) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may, direct GENCO to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the State Government or in other Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from MPSEB to GENCO.

SCHEDULE - 'B'

TRANSMISSION UNDERTAKING

The transmission undertaking shall comprise of all Assets, Liabilities and proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Madhya Pradesh State Electricity Board, concerning the transmission of electricity -

I. TRANSMISSION ASSETS:

All the transmission lines having the capacity to carry electricity at voltages of 66 kV and above (not notwithstanding the same are presently charged at voltages below 66 kV) on double circuit/single circuit/ single circuit on double circuit towers with Grid sub-stations of various capacities with all associated and related equipment, including step-up, step-down transformers, circuit breakers, metering arrangements and other protective devices with power-line communication system, allied control rooms, load dispatch center, lands (including right of way), buildings, roads and other auxiliary assets spread over within and outside the territory of the State including such assets under construction and assets acquired, transferred or rights of which were vested with the Board by transfer, sale, lease or otherwise, but excluding such constructions or installations lawfully owned and operated by others

In addition to the above, the 33 kV and below distribution system which are in the 66 kV and above Grid Sub-stations and are integral part of the transformation from 66 kV and above voltages to 33 kV and below voltages shall be part of the transmission system

and they shall not form part of the distribution undertakings notwithstanding anything contained in any other schedule.

II. GENERAL ASSETS.

(a) The following, if they exclusively or primarily pertain to the above mentioned transmission systems properties or projects or activities related to such transmission systems, properties or projects:

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

(b) The following pertaining to the shared Sub-stations to the extent of rights which vested in the Board

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete

(c) All independent and stand-alone Rest houses, which are not part of any substations/installations of the Board

(d) The office establishment and other buildings and lands, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of Transmission Undertakings as on the effective date of transfer.

III. MISCELLANEOUS:

- (1) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I, and II above.
- (2) Loans, secured and unsecured to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (3) Other Current Assets to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.

- (4) Other Current liabilities and provisions to the extent they are associated with or related to transmission activities or the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (5) Contingent liabilities to the extent they are recognised and are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (6) Other liabilities to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (7) Proceedings to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.

IV. GENERAL:

- (1) The assets of the transmission undertaking shall vest in TRANSCO
- (2) The State Government shall before the end of the provisional period mentioned in Rule 10 allocate the liabilities of MPSCD to TRANSCO to the extent and in such a manner, as the State Government may deem proper.
- (3) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may, direct TRANSCO to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the State Government or in other Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from MPSEB to TRANSCO.

SCHEDULE -'C'

DISTRIBUTION UNDERTAKING OF DISCOM 1

The Distribution Undertaking of DISCOM 1 shall comprise generally of all the Assets, Liabilities and proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Board, concerning the distribution of electricity in the area of supply consisting of Commissionaries of Jabalpur, Rewa, and Sagar of the State of Madhya Pradesh:-

I. DISTRIBUTION ASSETS:

All 33 kV, 11 kV, LT. (Single phase 2 wire to 3 phase 5 wire) lines (with overhead lines, Aerial Bunched cables and underground cables) and Sub-stations on different types of supports with various sizes of conductors and step up/step down transformers, breakers, protective and metering devices and control rooms, testing laboratories, lands (including right of way), buildings, roads, diesel generating sets or other conventional and non-conventional generating units, service connections and installations inside consumer's premises, street lighting and signal systems owned by or leased to the Board but excluding fittings, fixtures and installations owned, by private persons or local authorities, including any of the above assets under construction as on effective date of transfer.

II. GENERAL ASSETS:

The following, if they exclusively or primarily pertain to the above mentioned distribution systems, properties or projects or activities related to such distribution systems, properties or projects:

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

The office establishment and other buildings and lands, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of Distribution Undertaking of Discom 1 as on the effective date of transfer.

III. MISCELLANEOUS:

- (1) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (2) Loans, secured and unsecured to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (3) Other Current Assets to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (4) Other Current liabilities and provisions to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (5) Contingent liabilities to the extent they are recognized and are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (6) Other liabilities to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (7) Proceedings to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.

IV. GENERAL:

- (1) The assets of the distribution undertaking shall vest in DISCOM 1.

(2) The State Government shall before the end of the provisional period mentioned in Rule 10 allocate the liabilities of MPSEB to DISCOM 1 to the extent and in such a manner as the State Government may deem proper.

(3) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may, direct DISCOM 1 to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the State Government or in other Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from MPSEB to DISCOM 1.

SCHEDULE 'D'

DISTRIBUTION UNDERTAKING OF DISCOM 2

The Distribution Undertaking of DISCOM 2 shall comprise generally of all the Assets, Liabilities and proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Board, concerning the distribution of electricity in the area of supply consisting of Commissionaries of Bhopal, Hoshangabad, Chambal and Gwalior of the State of Madhya Pradesh:-

I. DISTRIBUTION ASSETS:

All 33 KV, 11 KV, LT. (Single phase 2 wire to 3 phase 5 wire) lines (with overhead lines, Aerial Runched cables and underground cables) and Sub-stations on different types of supports with various sizes of conductors and step up/step down transformers, breakers, protective and metering devices and control rooms, testing laboratories, lands (including right of way), buildings, roads, diesel generating sets or other conventional and non-conventional generating units, service connections and installations inside consumer's premises, street lighting and signal systems owned by or leased to the Board but excluding fittings, fixtures and installations owned, by private persons or local authorities, including any of the above assets under construction as on effective date of transfer.

II. GENERAL ASSETS:

The following, if they exclusively or primarily pertain to the above mentioned distribution systems, properties or projects or activities related to such distribution systems, properties or projects:

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

The office establishment and other buildings and lands, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of Distribution Undertaking of Discom 2 as on the effective date of transfer.

III. MISCELLANEOUS:

- (1) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (2) Loans, secured and unsecured to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (3) Other Current Assets to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (4) Other Current liabilities and provisions to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (5) Contingent liabilities to the extent they are recognized and are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (6) Other liabilities to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (7) Proceedings to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.

IV. GENERAL:

- (1) The assets of the distribution undertaking shall vest in DISCOM 2.
- (2) The State Government shall before the end of the provisional period mentioned in Rule 10 allocate the liabilities of MPSEB to DISCOM 2 to the extent and in such a manner as the State Government may deem proper.
- (3) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may, direct DISCOM 2 to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the State Government or in other Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from MPSEB to DISCOM 2.

SCHEDULE -'E'

DISTRIBUTION UNDERTAKING of DISCOM 3

The Distribution Undertaking of DISCOM 3 shall comprise generally of all the Assets, Liabilities and proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Board, concerning the distribution of electricity in the area of supply consisting of Commissionaries of Indore and Ujjain of the State of Madhya Pradesh,-

I. DISTRIBUTION ASSETS:

All 33 kV, 11 kV, LT. (Single phase 2 wire to 3 phase 5 wire) lines (with overhead lines, Aerial Bunched cables and underground cables) and Sub-stations on different types of supports with various sizes of conductors and step up/step down transformers, breakers, protective and metering devices and control rooms, testing laboratories, lands (including right of way), buildings, roads, diesel generating sets or other conventional and non-conventional generating units, service connections and installations inside consumer's premises, street lighting and signal systems owned by or leased to the Board but excluding fittings, fixtures and installations owned, by private persons or local authorities, including any of the above assets under construction as on effective date of transfer.

II. GENERAL ASSETS:

The following, if they exclusively or primarily pertain to the above mentioned distribution systems, properties or projects or activities related to such distribution systems, properties or projects:

Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, lands and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centers, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

The office establishment and other buildings and lands, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of Distribution Undertaking of Discom 3 as on the effective date of transfer.

III. MISCELLANEOUS.

- (1) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.

- (2) Loans, secured and unsecured to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (3) Other Current Assets to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Paras I and II above.
- (4) Other Current liabilities and provisions to the extent they are associated with or related to distribution activities or the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (5) Contingent liabilities to the extent they are recognized and are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (6) Other liabilities to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.
- (7) Proceedings to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Paras I and II above.

IV. GENERAL:

- (1) The assets of the distribution undertaking shall vest in DISCOM 3.
- (2) The State Government shall before the end of the provisional period mentioned in Rule 10 allocate the liabilities of MPSEB to DISCOM 3 to the extent and in such a manner as the State Government may deem proper.
- (3) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may, direct DISCOM 3 to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the State Government or in other Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from MPSEB to DISCOM 3.

SCHEDULE 'F'

FUNCTIONS AND UNDERTAKINGS RETAINED IN MPSEB

- (1) The bulk purchase and bulk supply functions, namely, purchase of electricity in bulk from the generating companies including GENCO and supply of electricity in bulk to the DISCOMS. MPSEB will not, however, undertake the activity of supply of electricity to any consumer in the State of Madhya Pradesh from such date as the State Government may direct in this behalf.
- (2) The liabilities to the extent to be retained as per the direction the State Government may issue in this behalf.

- (3) The assets in the form of amounts, which the State Government may direct as payable by the transferee to MPSEB to the extent and in the manner as the State Government may consider appropriate to compensate MPSEB for the liabilities retained as per Clause (2) above.
- (4) Cash & Bank Balance to be retained and shall be given to the transferees to the extent they are associated with or related to them, or as per the direction the State Government may issue in this behalf.
- (5) Fixed Deposits lying with State Bank of India being the amount taken as security deposit from independent power producers